खेल बदल

पितृसत्ता तोड़

सामुदायिक
वीडियो मार्गदर्शिका

स्टालिन के. और नुपुर सोनार. योगदान: बनीन कराचीवाला. वीडियो वालंटियर्स

अनुक्रमणिका

परिचय	3
सभी सवालों के जवाब (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)	4
सेक्स, जेंडर और पितृसत्ता	8
भाग-1ः रोज़मर्रा की पितृसत्ता पर वीडियो बनाना और उसका दस्तावेज़ीकरण करना	12 - 45
फिल्मिंग श्रेणी #1: काम और लिंग	12
फिल्मिंग श्रेणी #2: घर में पितृसत्ता	15
फिल्मिंग श्रेणी #3: समाज में पितृसत्ता...	19
फिल्मिंग श्रेणी #4: पितृसत्ता की नींव स्कूल में.	24
फिल्मिंग श्रेणी #5: पितृसत्ता को सांस्कृतिक मंज़ूरी ….	26
फिल्मिंग श्रेणी #6: महिलाएं और राजनैतिक भागेदारी	34
फिल्मिंग श्रेणी #7: सुंदरता का पैमाना- “गोरी-चिट्टी और लम्बे बाल, बहुत मोटी या नाटी नहीं, पति से लम्बी? कभी नहीं!” से होने वाला उत्पीड़न.	36
फिल्मिंग श्रेणी #8: महिलाएं और सार्वजनिक स्थान.	38
फिल्मिंग श्रेणी #9: औरत के शरीर पर किसका अधिकार?....	40
फिल्मिंग श्रेणी #10: तोड़ धारणा, बदल नज़रिया ……	44

भाग-2 : लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग 46 - 60

यौन हिंसा 48

क़ानून- जीविता के अधिकार, एफआईआर दर्ज़ करना और पुलिस की कार्रवाई 49

वैवाहिक बलात्कार 53

घरेलू हिंसा 54

ऐसिड हमला 56

एसिड हमले की जीविता के इलाज और पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश 56

एसिड हमले रोकने के लिए एसिड की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश 57

दहेज 59

परिचय

महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण, वीडियो वालंटियर्स के मुख्य लक्ष्य हैं. समाज में महिलाओं कि आवाज़ सबसे ज्यादा दबाई जाती है जिस पर हमारे ख़ुद के अंदर एक आग लगातार धधकती रही है. इस संस्था की स्थापना, अन्दर धधक रही इसी आग के चलते हुई. गाँव कि चौपाल हो या सत्ता के गलियारे, महिलाओं के मुद्दों पर सबसे कम चर्चा होती है. वीडियो वालंटियर्स का पहला प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को बाल-विवाह पर वीडियो फ़िल्म बनाने का प्रशिक्षण देने का था. दुनिया भर में दिखाए जाने से पहले फ़िल्म की स्क्रीनिंग गाँव में हुई और यह पहला मौका रहा जब गाँव के स्तर पर 50 फीसदी आबादी पर होने वाले ज़ुल्मों पर चर्चा हुई.

महिलाओं के मुद्दों को मीडिया से बाहर रखा जाना जारी है. दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यधारा के भारतीय मीडिया में फैसला लेने वाले 84 फीसदी लोग अगड़ी जाति के पुरुष हैं. लेकिन अब देश में कई ऐसे छोटे-छोटे व महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो इस तस्वीर को बदल रहे हैं. वीडियो वालंटियर्स इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रही है. हमारा अपना नेटवर्क हर वक़्त महिलाओ की 50 फीसदी भागीदारी बनाने में कामयाब है. राह आसन नहीं थी और इसके लिए काफी वक़्त और संसाधनों कि ज़रुरत होती है. लेकिन हमने ठान लिया था और कभी समझौता नहीं किया. हमारे नेटवर्क में शामिल सभी वीडियो कार्यकर्ता, चाहे वे पुरुष हो या महिला, बराबरी के लिए प्रतिबद्ध है,

आइये! हम मिल कर पितृसत्ता को नेस्तेनाबूत कर दें. किसी आदेश, दिए गए काम की तरह नहीं बल्कि दिलि तमन्ना और चाहत की तरह. आइये! ऐसी कहानियों को सामने लाएं जो ग़ैरबराबरी को उजागर और रेखांकित करें. आओ! उन नायिकाओं/नायकों के कामों का ज़श्न मनाएं जिन्होंने पितृसत्ता की आचार-संहिताओं को सफलतापूर्वक नेस्तेनाबूत किया. आइये! भारत में ऐसे जेंडर अभियान की शुरुआत करें जो ताज़गी से लबरेज़, ज़िंदगी से भरपूर, नई कहानियों को सामने लाए. जो बताए कि पुरुष और महिला कैसे पितृसत्ता का सामना करते हैं, भुगतते हैं, उलझते व निपटते हैं और चुनौती देते हैं.

आइये! पितृसत्ता को तोड़ दें, हर वीडियो, हर चर्चाः एक वार

इस अभियान से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब

प्रश्न 1- वीडियो वालंटियर्स की लैंगिक मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में क्या-क्या शामिल था?

- लिंग और सेक्स के बीच अंतर को समझना.
- रोज़ाना की ज़िंदगी में पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों की निशानदेही.
- लिंगभेद के बावजूद पितृसत्ता किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालती है.
- महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा की मूल जड़ पितृसत्ता कैसे है.
- रोज़ाना की ज़िदगी में पितृसत्तात्मक परंपराएं दर्शाने वाली प्रथाओं और इसके पीछे की मानसिकता पर वीडियो बनाना.
- पीड़ित महिलाओं/लड़कियों के अधिकार.
- लिंग आधारित हिंसा के मामलों में पुलिस और डॉक्टरों के लिए प्रोटोकॉल (नियम).
- लिंग आधारित हिंसा के मामलों में प्रोटोकॉल(नियमों) और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का पता लगाना.
- महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ हिंसा वाले मामलों को संवेदनशीलता के साथ कैसे रिपोर्ट किया जाए.
- ऐसे मामलों में साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग और सत्यता क्यों महत्वपूर्ण है.
- चुने हुए सामुदायिक संवाददाता (CC) समूह के साथ जेंडर प्रोजेक्ट डिज़ाइन: महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ हिंसा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पितृसत्तात्मक मुद्दों पर बने वीडियो के ज़रिये, CC कैसे डिस्कशन क्लब(चर्चा समूह) चला सकते हैं. जिससे समुदाय में इस पर विमर्श शुरु हो कि पितृसत्ता को नष्ट करना क्यों ज़रूरी है.

प्रश्न 2- हम पितृसत्ता को चुनौती क्यों दे रहे हैं?

पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ शारीरिक, शाब्दिक व भावनात्मक हिंसा पितृसत्ता के लक्षण है. जिसकी जड़ें इस सोच में है कि पुरुष ताकतवर है और उसे महिलाओं को नियंत्रण में रखने का अधिकार है और अगर ज़रूरत पड़े तो सज़ा भी दे सकता है. अंतः महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी मूल वज़ह को निशाना बनाया जाए, यानि- पितृसत्ता.

प्रश्न 3: मैं लैंगिक मुद्दों पर वीडियो कैसे बनाऊं या इन मुद्दों पर एक CC को कैसे मेंटर करूं?

आप इस फील्ड गाइड को शुरु से अंत तक पूरा पढ़ें. इस गाइड का उद्देश्य IU प्रारूप से अलग वीडियो बनाना है. अंत: CC व मेंटर को इन कहानियों को अलग नज़रिये से देखने और समझने की ज़रूरत है. यह गाइड, कहानियों की पहचान करने में आपकी मदद करेगी, फिल्मांकन के नुस्खे देगी, इसमें रिपोर्टिंग जाँच सूची व अन्य कई छोटे-छोटे नोट हैं जो वीडियो बनाने में आपकी मदद करेंगे. ऐसे वीडियो, जो उद्घाटित कर दें कि देखो! पितृसत्ता कैसे रोजाना की ज़िंदगी और जीवन के अलग-अलग पहलूओं के साथ खेल रही है. कृपया शूट से पहले फ़िल्मिंग

टिप्स के नीचे लिखे स्टोरी आइडिया को पूरा पढें. स्टोरी आइडिया को छोड़कर सीधे फिल्मांकन के सुझावों पर ना जाएं.

इस गाइड को पढ़ते समय, आपको कई कहानी के आईडिया मिलेंगे जिस पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे.

प्रश्न 4. मैं लिंग आधारित हिंसा पर वीडियो बनाने की योजना कैसे बनाऊं और वीडियो को किस नज़रिये से आत्मसात करुं?

इस गाइड का मक़सद ये सुनिश्चित करना है कि आप "लिंग आधारित हिंसा" मुद्दे पर संवेदनशीलता और सटीकता के साथ वीडियो बनाएं. इस मुद्दे पर कहानियां, हिंसा की घटना की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इससे आगे जानी चाहिए. हमें जीविता की मदद के लिए बने ढांचों, प्रक्रिया और संसाधनों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। ये कितने कारगर हैं? याद रखें कि रिपोर्टिंग और हस्तक्षेप के लिए नियम कायदे-क़ानून के सब भागों को ध्यान से पढना है. जीविता के अधिकार, पुलिस और डॉक्टरों के लिए प्रोटोकॉल इसके अलावा जो और भी कई रिपोर्टिंग जांच सूचि हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप लिंग आधारित हिंसा पर अच्छा वीडियो बना सकते हैं.

प्रश्न 5. मैंने एक स्टोरी आइडिया चिन्हित किया है. मैं इस बारे में किससे चर्चा करूं?

जेंडर प्रोजेक्ट अभियान के वीडियो पर आप अपने फील्ड मेंटर से चर्चा नहीं करेंगे. राज्य संयोजक (State Coordinator) से चर्चा कर सकते हैं. आप नूपुर, स्टालिन, मनीष और राजकुमार से भी संपर्क कर सकते हैं.

जरूरत पड़ने पर राज्य संयोजक, स्टालिन, नुपुर, मनीष या राजकुमार से सीधे सलाह देने का अनुरोध कर सकते हैं.

राज्य संयोजक ध्यान दें: यदि आप किसी कहानी को मेंटर करने में मुश्किल महसूस कर रहे है तो कृपया स्टालिन या नूपुर से बात करें. लेकिन इससे पहले आप के पास स्टोरी का वन लाइनर (कौन, कहां, कब और क्या) होना चाहिए.

प्रश्न 6. क्या इन जेंडर वीडियो का प्रारुप IU वीडियो की तरह ही रहेगा?

हां और ना.

यह गाइड दो श्रेणियों के तहत वीडियो बनाने में आपको सक्षम करेगी:

1. रोजाना की ज़िंदगी में पितृसत्ता
2. लिंग आधारित हिंसा
    - जो वीडियो रोजाना की ज़िंदगी में पितृसत्ता को दिखाते हैं वे IU प्रारूप में **नहीं** होंगे.

- इनमें ओपनिंग P2C या CTA की ज़रूरत नहीं है.
- इनमें वायस ओवर VO होगा और वीडियो के अंत में एक एंड P2C होगा. ये एंड P2C कोई अपील नहीं होगा बल्कि इसमें आप पूरे मुद्दे को समेटते हुए अपनी राय और दृष्टिकोण ज़ाहिर करेंगे साथ ही बताएंगे कि ऐसा क्यों है.
- ऐसे वीडियो के लिए इंटरव्यू सवाल-जवाब की बजाय बातचीत पर आधारित हों, मतलब ऐसा ना करें की धड़ाधड़ सवालों की गोली-बारी कर दें. दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको- बातचीत करनी है सवाल जवाब नहीं.
- गाइड का फिल्मिंग टिप्स वाला हिस्सा इन साक्षात्कारों की तैयारी करने में और कहानी की परिकल्पना करने में आपकी मदद करेगा.
- ये पहचान करने के लिए कि आपकी कहानी को किन चीज़ों की जरूरत है, इस गाइड को पढ़िए. और ज्यादा स्पष्टता के लिए सलाहकार से चर्चा कीजिए.
- अच्छे Brolls (बी रोल) बहुत ज़रूरी हैं.
- लिंग आधारित हिंसा वाले सभी वीडियो IU प्रारुप में होंगे, जिसमें P2C/VO/CTA आदि शामिल रहेंगे.
- ध्यान रहे कि इंटरव्यू का मतलब है बातचीत ना कि सवाल जवाब.
- महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टिंग करते हुए आपको सभी नियमों का पालन करना होगा. कृपया इस गाइड के भाग-दो को देखें: लिंग आधारित हिंसा पर रिपोर्टिंग.

प्रश्न 7. फुटेज की समीक्षा कौन करेंगे?

आपके मेंटर फुटेज की समीक्षा करेंगे. इसका मतलब यह है कि फुटेज की समीक्षा या तो राज्य संयोजक या गोआ कार्यालय में मेंटर द्वारा की जाएगी.

प्रश्न 8. वीडियो एडिटिंग कहां की जाएगी?

राज्य संयोजक व राज्य के एडिटर ध्यान दें: सभी जेंडर वीडियो की एडिटिंग गोआ ऑफिस में होगी.

प्रश्न 9. क्या इन वीडियो को अलग ढंग से संपादित करने की ज़रूरत है?

हाँ! बिल्कुल. इसे प्रोत्साहित किया जाता है कि इस तरह के वीडियो को एडिट करते हुए एडिटर व्यक्तिगत रचनात्मकता का प्रयोग करें. वीडियो संपादक इस पूरी गाइड को पढ़ें. इससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह कि कहानियां आएंगी. यह समझने के लिए कि इन वीडियो का उपयोग कैसे किया जाएगा, “डिस्कशन क्लब गाइड” भी ज़रूर पढ़े.

रोज़मर्रा के जीवन में पितृसत्ता श्रेणी के वीडियो में कॉल टू एक्शन (CTA) नहीं होगा. इन वीडियो का ज़्यादतर इस्तेमाल डिस्कशन क्लब में किया जाएगा. इसलिए, ये बातचीत व साक्षात्कार आधारित होंगे. लैंगिक मुद्दों पर कुछ वीडियो सिर्फ दृश्यों का उपयोग करके भी संपादित किये जा सकते है. समाज में लोकप्रिय व प्रचलित

धारणाओं, राय, रुझान और समझ आदि के हिसाब से वीडियो का एक संकलन बन सकता हैं. इसी प्रकार मिलते-जुलते व एक जैसे विषयों पर भी वीडियो का संकलन बना सकते हैं.

लिंग आधारित हिंसा पर वीडियो में एक कॉल टू एक्शन (CTA) होगा. इसका मतलब यह है, कि CC इस वीडियो का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर उस समस्या के समाधान के लिए समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए करेंगे, जो समस्या वीडियो में दिखाई गई है. इसलिए, इन वीडियो का प्रारुप IU वीडियो वाला ही होगा. लेकिन आप अपनी रचनात्मकता का भरपूर इस्तेमाल करें. याद रखें, इस मुद्दे पर कहानियां हिंसा की घटना की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इससे आगे जानी चाहिए. हमें जीविता की मदद के लिए बने ढांचों, प्रक्रिया और संसाधनों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। ये कितने कारगर हैं? घटनाओं को गिनाने और उनका बखान करने की बजाय हम वीडियो में इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि किन नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है. ये दमदार तरीके से सामने आना चाहिए. एडिटर उन सभी भागों को ध्यान से पढें जिनमें बताया गया है कि इस तरह की कहानियों को रिपोर्ट और हस्तक्षेप करते हुए किन-किन नियमों (प्रोटोकॉल) का पालन करने की ज़रुरत है. जीविता के क्या अधिकार हैं, पुलिस और डॉक्टर के लिए क्या नियम (प्रोटोकॉल) हैं. इसके अलावा अन्य कई जांच सूचियां हैं जिन्हें पढना ज़रूरी है.
किसी कहानी को एडिट करते हुए अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप स्टालिन और नुपुर से बात कर सकते हैं.

प्रश्न 10. क्या सभी जेंडर वीडियो प्रकाशित होंगे?
हां. लेकिन हमें सभी वीडियो के शूट करने से पहले पात्र आदि की मंज़ूरी लेनी होगी इसी प्रकार प्रकाशित करने के लिए भी मंजूरी ज़रूरी है. आम तौर पर हम केवल शूटिंग के लिए साक्षात्कार से पहले सहमति लेते है. लेकिन आपको साक्षात्कार दे रहे व्यक्ति को बताना होगा कि उनका वीडियो दुनिया भर में देखा जाएगा. इसके लिए कैमरे पर उनकी सहमति लीजिए.

प्रश्न 11. जेंडर वीडियो के लिए क्या भुगतान किया जाएगा?
इन वीडियो का भुगतान भी आम IU वीडियो के समान ही होगा. जो वीडियो मेंटर के साथ चर्चा नहीं किए गए हैं और डेटाबेस में पिच नहीं किए गए हैं उन वीडियो का भुगतान नहीं किया जाएगा.

सेक्स, जेंडर और पितृसत्ता

जेंडर क्या है?

अक्सर यह समझना मुश्किल होता है कि "जेंडर" का सही अर्थ क्या है और यह "सेक्स" जैसे क़रीबी शब्द से कैसे अलग है. जहां तक "सेक्स" का संबंध है तो यह बायोलॉजिकल यानी जैविक और शारीरिक विशेषताओं की तरफ इशारा करता है, जिसके आधार पर पुरुषों और महिलाओं को श्रेणी के तौर पर परिभाषित किया जाता है. जबकि "जेंडर" समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए बनाए गए सांचों और आचार संहिताओं की तरफ इशारा करता है, जो बताते हैं कि स्त्री को क्या करना चाहिए और पुरुष को क्या, समाज में स्त्री की क्या भूमिका है और पुरुष की क्या, स्त्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए और पुरुष का कैसा, स्त्री में कैसे गुण होने चाहिए और पुरुष में कैसे आदि-आदि.

इसे अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए :

"पुरुष" और "महिला" सेक्स श्रेणियां हैं जबकि "मर्दाना" और "जनाना" जेंडर श्रेणियां हैं.

सेक्स विशेषताओं के कुछ उदाहरण:

- माहवारी, जो महिलाओं को होती है, पुरुषों में नहीं होती.
- महिलाओं के मुक़ाबले पुरुषों की हड्डियां आमतौर पर ज्यादा बड़ी और चौड़ी होती हैं.

जेंडर विशेषताओं के कुछ उदाहरण:

- भारत के गांवों में समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के मुक़ाबले कम पैसे मिलते हैं.
- दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पुरुषों की तुलना में घर का ज्यादातर काम महिलाएं करती हैं.

यानी, पैदाइश तो नारी या नर या इंटरसेक्स* के तौर पर होती है. लेकिन उन्हें लड़की और लड़का बनना सिखाया जाता है, और यही आगे चलकर महिला या पुरुष बनते हैं. उन्हें बताया जाता है कि "सही" आचरण और व्यवहार क्या है, उनकी भूमिका और कामकाज क्या हैं और दूसरों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए. यही सीखा हुआ आचरण, जेंडर की पहचान रचता है, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय करता है.

(* इंटरसेक्स, इंसान और जानवरों में, गुणसूत्र, यौनांग, सेक्स हार्मोन आदि के आधार पर सेक्स संबंधी विशेषताओं और विविधताओं को परिलक्षित करता है. वो विशिष्टताएं जो महिला और पुरुष जैसी सपाट श्रेणियों में फिट नहीं होती)

पितृसत्ता क्या है

शब्दकोष के मुताबिक पितृसत्ता की परिभाषा है "एक ऐसा सामाजिक संगठन जो परिवार या वंश में व घरेलू और धार्मिक अनुष्ठानों में पिता की सर्वोच्चता चिह्नित करता हो". यह सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था है, जो तय करती है कि पुरुष सत्ता में रहने और महिलाओं पर प्रभुत्व बनाए रखने के हक़दार हैं. ऐसी व्यवस्था में स्त्री-पुरुष संबंधों में प्रभुत्व और अधीनता की सक्रियता और इसे कुदरती मानने की समझ अंतर्निहित होती है.

यह जोर देती है कि पुरुष पैदायशी तौर पर हावी रहने वाले, हर चीज से श्रेष्ठ होते हैं. बाकि सब, खासकर महिलाएं कमज़ोर होती हैं. दूसरी ओर महिलाओं को कमज़ोर, परतंत्र और पुरुषों के विस्तार के तौर पर ही देखा जाता है. जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वे शादी करें और बच्चे पैदा करें. परिणामस्वरुप महिलाओं को उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है. आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को कमज़ोर, कम सक्षम और कम भरोसेमंद माना जाता है. इसके उलट, पितृसत्ता को उम्मीद होती है कि पुरुष शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत, प्रभुत्वशाली, घर को पालने वाले और अपने परिवार के संरक्षक होंगे.

यहां तक कि 21 वीं सदी में भी, ज्यादातर परिवारों में पितृसत्ता ही तय करती है कि हमारे माता-पिता हममें से हर एक को किस नज़र से देखेंगे. पितृसत्तात्मक सोच व्यापक तौर पर धर्म के ज़रिये सिखायी जाती है. अक्सर यह बताया गया कि चूंकि भगवान नर है. इसलिए उसने दुनिया पर राज करने के लिए पुरूषों को बनाया है. पुरुषों के अधिनस्थ, सहायक और पूरक के तौर पर कार्य करने के लिए महिलाओ को बनाया है. जिनकी भूमिका है शक्तिशाली पुरुष के अधीनस्थ रह कर काम करना और आज्ञा मानना.

महिलाओं के ख़िलाफ पुरुषों की हिंसा- चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो या भावनात्मक हो पितृसत्ता की ही अभिव्यक्ति होती है. यह इस सोच में निहित है कि पुरुषों के पास नियंत्रित करने की ताक़त और अधिकार है और जरूरत पड़ने पर वे महिलाओं को लगाम भी लगा सकते हैं.

यह सोच हर उस संस्था में कूट-कूट कर भरी है, जिससे हमारा ताल्लुक पड़ता है. चाहे वह घर हो, जहां महिलाओं को फैसले लेने की आज़ादी नहीं है. चाहे स्कूल हो, जहां कच्ची उम्र में बच्चों को लैंगिक आचार-संहिताएं सिखाई जाती हैं. चाहे वह गांव हो या काम करने की जगह, जहां नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाओं के मुक़ाबले पुरुष ज्यादा दिखते हैं या फिर हमारा समाज, जहां पुरुषों और महिलाओं से लैंगिक आचार संहिताओं के मुताबिक व्यवहार करने की सिफ़ारिश की जाती है.

पितृसत्ता को चुनौती क्यों?

क्या हमने कभी, छोटी बच्ची, किशोरी या महिला के तौर पर पूर्णतः अशक्त, बेबसी या लाचारी को महसूस नहीं किया है? उस समय, जब मात्र स्त्री होने की वजह से हमें घर में हमारी हैसियत और औक़ात का अहसास कराया गया. उस समय, जब मज़बूत या शक्तिशाली पुरुष ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर तय नियमों का पालन नहीं किया तो हमें सज़ा दी जाएगी. उस पितृसत्ता के सरमायेदार बाप के द्वारा जो घर का शासक है. इन्ही तरीकों से हमें "पितृसत्ता की कला" सिखाइ गई, इस व्यवस्था का अहसास कराया गया और हमें "अनुशासनबद्ध" किया गया..

पितृसत्ता यह मानती है कि लिंग संबंधी रिश्तों में प्रभुत्व और अधीनता की सक्रियता कुदरती है. पितृसत्ता के मुताबिक जो ताकतवर हैं (यानी पुरुष) और जो अधीन हैं (यानी महिलाएं), दोनों के लिए ब्यौरेवार ख़ासतौर पर नियम तय हैं. महिलाओं को अपनी भावनाएं दिखाने की अनुमति तो है. लेकिन अपने लिए खींची गयी लक्ष्मण रेखाओं को नहीं लांघ सकतीं. उन्हें मुखरता के साथ व्यवहार करने और रौब जताने की बिल्कुल अनुमति नहीं है. इसके उलट पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी भावनाओं को दबा दें.

दिक्कत यह है: एक साथ परस्पर ज़ज्बातों को प्रकट करने और खुद को मुखरता के साथ ज़ाहिर करने की अनुमति न देकर हम उनके अनुभवों के लिए एक सीमा तय कर दे रहे हैं और इंसान के तौर पर उनकी अहमियत को घटा रहे हैं.

"एक सभ्य लड़की रात नौ बजे के बाद बाहर नहीं घूमती" या "लड़कियों की जिम्मेदारी घर के काम करना और घर संवारना है न कि रात को बार या डिस्को में घूमना या "असली मर्द रोते नहीं है", इस तरह की टिप्पणियां उस पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाती हैं जो पुरुष और महिलाओं दोनों के व्यवहार को नियंत्रित करती है कि वे समाज में किस तरह का आचरण करें.

पितृसत्तात्मक सोच हमारे सांस्कृतिक मूल्य-व्यवस्था को तय करती है. चाहे महिलाएं हों या पुरुष हम इसी व्यवस्था में पले-बढ़े हैं . हम में से ज्यादातर ने पितृसत्तात्मक नज़रिया अपने परिवार से ही सीखा है और आमतौर पर हमारी मांओं ने हमें यह सिखाया. स्कूलों और धार्मिक संस्थाओं में इस नज़रिये को और भी पुख्ता किया गया. हमारे जीवन में पितृसत्तात्मक अभिव्यक्ति के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- शादी के बाद लड़कियां मां-बाप का घर छोड़कर पति के घर जाती हैं, अपना कुलनाम छोड़कर अपने पति का कुलनाम (गोत्र) अपनाती हैं और कई परंपराओं में तो पति का नाम भी.
- दहेज के ज़रिये महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना देने का अर्थ है, महिलाओं की सामाजिक हैसियत से समझौता करना, उसे कम करना. यही उन्हें अपने जीवनसाथी के मुक़ाबले असुरक्षित बनाता है और उन्हें ऐसी हालत में डाल देता है कि उनके साथ घरेलू संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता है.
- महिलाओं की आवाजाही, गतिशीलती पर प्रतिबंध लगाए गए.

- पहला बच्चा लड़की ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत से परिवार चरम सीमा तक चले जाते हैं, नीचे लिखी वजहों के कारण लोग बेटा चाहते हैं:
    - ऐसे देखा जाता है कि बेटा कमाने वाला है और बुढापे में अपने मां-बाप की देखभाल करेगा जबकि बेटी शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी.
    - बेटे से वंश आगे बढ़ता है जबकि बेटी अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है.
    - लड़कियों को उपभोक्ता के तौर पर देखा जाता है जबकि लड़कों को उत्पादक या सृजक के तौर पर.
    - कई परिवारों में बेटे को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है जबकि बेटी होना शर्म की बात मानी जाती है.
    - महिलाओं को गृहिणी के तौर पर देखा जाता है जबकि पुरुषों को पालनकर्ता के तौर पर देखा जाता है.

भाग एक- पितृसत्ता प्रतिदिन

गाइड का पहला भाग पितृसत्ता के विभिन्न पहलुओं पर वीडियो बनाने में आपकी मदद करेगा, वो पहलू जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 1 | औरत के काम, मर्द के काम

पृष्ठभूमि: हमारे समाज में पुरुषों को रोटी कमाने वाला माना जाता है और महिलाओं को बेगार करने वाली घरेलू मज़दूर. आमतौर पर महिलाओं के काम को उनके प्रजनन के कार्य के विस्तार के तौर पर देखा जाता है और इसे कोई "वास्तविक कार्य" नहीं माना जाता. इसीलिए इसे कम आंका जाता है. इसी वजह से दुनियाभर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के काम के दिन ज्यादा लंबे होते है. उत्पादन के विभिन्न् क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर काम करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है.

नोट: यह अध्याय रोज़मर्रा की ज़िदगी के उन पहलूओं को सूचिबद्ध करता है जिनमें पितृसत्ता अपना खेल खेलती है. यह "फिल्मिंग श्रेणियों" के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं. प्रत्येक फिल्मिंग श्रेणी के तहत स्टोरी आईडिया और फिल्मिंग टिप्स यानि फिल्मांकन के नुस्खे दिए गए है।

यहां तक कि सरकारी या कॉर्पोरेट क्षेत्र में ज्यादातर ऊंचे पदों पर पुरुष ही होते हैं. आमतौर पर महिलाओं को निचले और सहायक पदों पर रखा जाता है, जो इस पुरुष नेतृत्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है या यूं कहें कि जिनकी बदौलत यह पुरुष नेतृत्व बना रह पाता है. ऐसे में ऊंचे पदों पर बैठे पुरुषों की शक्ति, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार उनके अधीनस्थ काम करने वाली महिलाओं की मेहनत पर निर्भर है. यही नहीं, आज भी समाज में व्यापक तौर पर फैली पारंपरिक रूढिवादी लिंग आधारित भूमिकाएं व लैंगिक आचार संहिताएं महिलाओं की व्यापारिक प्रगति में बाधक हैं. हमारी मूल्य व्यवस्था आज भी इसी धारणा का प्रोत्साहन और समर्थन करती है कि किसी परिवार के लिए यही बेहतर है कि पिता कमाता हो और मां घरेलू जिम्मेदारियां निभाती हों. परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का ग़ैर मददगार रवैया महिलाओं के काम और उनकी समाजिक भूमिका पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

दिलचस्प जानकारी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (मनरेगा) में ख़ास तौर पर लोक निर्माण के क्षेत्र में मज़दूरी में लैंगिक पारंपरिक भेदभाव कम हुआ है. एनएसएसओ (NSSO) के 66वें दौर के अनुसार, मनरेगा में पुरुषों के लिए औसत मजदूरी प्रति दिन 90.90 रुपये थी और महिलाओं लिए यह प्रति दिन 87 रुपये थी. जबकि बाकी सार्वजनिक कामों के लिए यह अंतर ज्यादा था पुरुषों के लिए 98.30 रुपये प्रति दिन और महिलाओं के लिए 86.10 रुपये प्रति दिन. यानी हक़ीक़त यही है कि वेतन में फ़र्क जारी है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 1
घर का काम और बाहर का काम

मोहन और नीना छत्तीसगढ़ के दूर-दराज़ के एक गांव में रहते हैं और दोनों खेतिहर मज़दूर हैं. नीना घर के कामकाज के लिए सुबह 4 बजे उठती है जबकि मोहन आराम से 7 बजे तक उठता है. जोकि नाश्ते और रेडियो सुनने का सही वक़्त होता है. सुबह 8 से 11 बजे के बीच नीना करीब 3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती है, खाना पकाती है, सफाई करती है और फिर मज़दूरी करने खेत पर आ जाती है. मोहन करीब 10 बजे खेत पर पहुंचता है. उसे और मोहन को खेत के एक ही टुकड़े पर काम दिया जाता है और दोनों एक ही तरह का काम भी करते हैं. लेकिन नीना और मोहन को प्रति घंटे के हिसाब से अलग-अलग पैसे मिलते हैं. उसे वक़्त पर वापस घर पहुंचकर परिवार के लिए खाना भी पकाना होता है. मोहन जब लौटता है तो उसके पास खाली वक़्त होता है और वह दोस्तों के साथ ताश खेलता है या रेडियो पर गाने सुनता है. नीना देर रात तक घर का काम समेटने के बाद ही सोती है.

शूटिंग टिप्स: आप को सुबह से लेकर शाम तक मोहन और नीना के साथ रहना होगा. फिर एक पूरा दिन नीना और एक पूरा दिन मोहन के साथ गुजारना होगा. दोनों के दिन भर अलग-अलग काम करने के ज्यादा से ज्यादा बी रोल लेने होंगे. नीना और मोहन द्वारा किये जाने वाले हर काम का वीडियो अहम है. एक जगह बिठा कर औपचारिक तरीके से साक्षात्कार करने की बजाय, जब वह काम कर रहे हों तभी उनका इंटरव्यू लीजिए.

घर का सारा काम आपका ही क्यों करना पड़ता है?
क्या मोहन कभी खाना पकाता है और सफाई करता है? क्यों नहीं?
क्या आपको अपने काम में मजा आता है? क्यों नहीं?
आपको अपने काम के लिए कितना पैसा मिलता है?
मोहन, आपको घर का काम करने में क्या बाधा है, क्यों नहीं करते?
क्या पति और पत्नी दोनों को घर का काम करना चाहिए?
क्या काम की यह पारंपरिक भूमिका कभी बदलेगी? क्या इसे बदलना चाहिए?

ऐसा नहीं है कि पूछने के लिए सही सवाल यही हैं. ये सिर्फ ऐसे सवाल हैं जो उन्हें आपके साथ बातों में लगाए रखने में मदद करेंगे ताकि आप लैंगिक आधार पर काम और भूमिकाओं के बंटवारे को लेकर उनकी धारणा और राय जान सकें.

ध्यान रहे कि इस तरह की स्टोरी बिना अच्छे फुटेज (बी रोल) के नहीं बन सकती. वैसे, ऐसी स्टोरी इंटरव्यू और VO वॉयस ओवर के बिना, केवल विजुअल के आधार पर भी बनायी जा सकती है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 2
औरत नौकरी क्यों करे ?

अक्सर मददगार परिवार न होने की वज़ह से महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती हैं. हम ऐसी तमाम औरतों को जानते होंगे जिन्हें शादी के बाद अपनी नौकरी या करियर छोड़ना पड़ा.

26 साल की वहीदा एक स्थानीय ग़ैर सरकारी संस्था (NGO) से 19 साल की उम्र से जुड़ी थी. वह स्मार्ट है, व्यवहारकुशल है और सामाजिक ख़ासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध है. उसके दख़ल की वज़ह से ही उसके गांव में कई महिलाओं और युवा लड़कियों को घरेलू हिंसा के मामलों में राहत और मदद मिली. वहीदा जब तक अपने माता-पिता का साथ थी यह काम करती रही. शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने उसकी नौकरी छुड़वा दी. उन्होंने कहा, "तुम्हें दूसरों के मामले में दख़ल देने की क्या जरूरत है? तुम तो अपने घर-परिवार का ख्याल रखो". वहीदा ने अपने पति और ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उसका पति शकील यूं तो भला आदमी है. वह पत्नी का ध्यान रखता है. लेकिन उसका मानना है कि महिला की भूमिका घर और परिवार का ध्यान रखना है और "बाहर की दुनिया की चिंता करना मर्द का काम है."

शूटिंग टिप्स: अगर आप पुरुष हैं तो आपको शकील को मुख्य पात्र बना कर शूटिंग की तैयारी करनी होगी. फिल्म बनाने का हमारा उद्देश्य शकील को परखना या उसे यह बताना नहीं है कि वह ग़लत है. हमारा मक़सद शकील को खुद को अपनी स्थिति, अपनी सोच को बयान करने का मौका देना है. पितृसत्ता ख़त्म करने के लिए सबसे अहम यह है कि हम समझें कि हमारे आसपास के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं. शकील की कहानी से इसे समझने में आसानी होगी. आप शकील से खुले दिमाग से मिलिए.यह जरूरी है कि आप घर मे शकील के काम करने का खूब सारा फुटेज शूट कीजिए. अगर वह ज्यादा काम नहीं करता तो वह भी दिखाना जरूरी है. अच्छा होगा अगर वहीदा के घर में काम करने के और सुनने के शॉट मिल जाएं. शकील से पूछिए कि वहीदा ने एनजीओ की नौकरी क्यों छोड़ दी? वहीदा की तमाम दूसरी औरतों की मदद करने के बारे में पता चलने पर शकील को कैसा महसूस होता है? क्या नौकरी करने देने का वहीदा के माता-पिता का फैसला ठीक था?

अगर आप महिला हैं, आपको केंद्रीय पात्र के रूप में वहीदा के साथ वीडियो शूट करने की तैयारी करनी होगी. अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि इससे उसके घर में उसकी स्थिति से कोई समझौता न हो.यानी वह खुलकर अपनी बात कहे तो बाद में कोई परेशानी न हो. आप उससे कह सकती हैं कि वह चेहरा ढंक कर जवाब दे सकती है. उसके साथ बातचीत में यह निकलकर आना चाहिए कि शादी के बाद औरतों को नौकरी न करने देने के बारे में वह क्या सोचती है? उसके मुताबिक यह सही है या ग़लत? यह कब बदलेगा? अगर उसके बेटी होती है और वह अपना करियर बनाना चाहे तो वह क्या करेगी? समाज में किस बदलाव की जरूरत है?

अगर आप भाग्यशाली हुए तो हो सकता है शकील और वहीदा दोनों आपकी फ़िल्म का हिस्सा बनने को तैयार हो जाएं. ऐसा होने पर आप एक ही कहानी में इन दोनों पक्षों की व्याख्या कर सकते हैं.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 2 | **घर में पितृसत्ता**

वीडियो स्टोरी आइडिया # 3
लैंगिक आचार-संहिताओं के हिसाब से बच्चों की परवरिश पितृसत्ता की तैयारी

राबिया की उम्र 11 वर्ष है. वह स्मार्ट और अक्लमंद है. जब उसके माता पिता खेत पर काम करने जाते हैं तो वह अपनी 4 साल की बहन को संभालती है. उसका 8 साल का एक भाई रज्जाक भी है. दोनों स्कूल में पढते हैं. लेकिन रज्जाक तो रोज स्कूल जाता है जबकि राबिया को घर पर खाना पकाने, सफाई करने और छोटी बहन की देखभाल के लिए अक्सर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है. राबिया की मां सुबह 5 बजे उठती है और उसे 6 बजे तक उठा देती है. उसके पिता और भाई रज्जाक 7.30 बजे तक उठते हैं. राबिया का दिन शुरु होता है, वो एक किलोमीटर दूर से तीन बर्तनों में पानी भरकर लाती है. दो बर्तन उसके सिर पर होते हैं और एक कमर पर. सुबह उसको पानी के लिए 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं. नल पर लाइन लंबी होने की वज़ह से उसका स्कूल छूट जाता है. वह घर का आंगन साफ करती है, खाना पकाने और बहन को दूध पिलाने में मां की मदद करती है. रज्जाक उठने के बाद या तो अपने दोस्तों के साथ खेलता है या अपना होमवर्क करता है.

शूटिंग टिप्स: इस तरह की स्टोरी आपके चारों ओर मिल जाएंगी. ऐसी स्टोरी पता चलने पर आप अपने शूट की तैयारी कर सकते हैं. आपको राबिया और रज्जाक के साथ तीन दिन बिताने होंगे. पहले दिन कोई शूटिंग नहीं होगी बल्कि सिर्फ दोनों पर ध्यान से नज़र रखनी होगी और दिमाग में इस बात का खाका खींचना होगा कि दोनों की ज़िंदगी में क्या फर्क है. आप इस दिन उनके मां-बाप से से भी बात कर सकते हैं और इनकी मंजूरी ले सकते हैं.

दूसरे और तीसरे दिन आपको एक-एक बच्चे का वीडियो शूट करना होगा. वह दिनभर क्या करते हैं वो सब शूट करना होगा. और इस तरह आप एक बेहतरीन कहानी बता पाएंगे कि घर में अलग-अलग भूमिका के लिए लड़कियों और लड़कों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है. ऐसी स्टोरी के लिए न तो वॉयस ओवर और न पी2सी की जरूरत होगी. आप रज्जाक और राबिया से पूछ सकते हैं कि रज्जाक पानी भरने क्यों नहीं जाता या खाना या सफाई क्यों नहीं करता? राबिया से पूछ सकते हैं कि जब वह स्कूल नहीं जा पाती या दोस्तों के साथ खेल नहीं पाती तो कैसा लगता है? आप दोनों से पूछ सकते हैं कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ताकि दर्शकों को पता चल सके कि उम्मीदें या हसरतें किस तरह बनती हैं. आप इनके माता-पिता से यह जान सकते हैं कि लड़की और लड़के के अलग-अलग काम, ऐसा क्यों है? आप पूछ सकते हैं कि रज्जाक खाना क्यों नहीं बनाता या सफाई क्यों नहीं करता? यही सवाल रज्जाक और राबिया से भी पूछिए.

ध्यान रहे कि इस तरह की फ़िल्म बनाने के लिए आपको परिवार के साथ वक़्त गुजारना होगा. आप सिर्फ कुछ तय सवाल पूछ कर ऐसी स्टोरी नहीं बना सकते. दर्शकों को जेंडर आधारित भूमिकाएं और भेदभाव बताने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ऐसा दिखाना भी होगा.

अगर आपके पास अच्छे विजुअल और अच्छे इंटरव्यू हैं तो इसी फुटेज से दो फिल्में बन सकती हैं एक राबिया और एक रज्जाक पर. या फिर वीडियो एडिटर दोनों को मिलाकर एक लंबी फ़िल्म बना सकते हैं.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 4
लिंग आधारित गर्भपात: पुत्र लालसा और पुत्री द्वेष

पृष्ठभूमिः यूं तो भारत सरकार ने गर्भ में लिंग की जांच पर प्रतिबंध लगा रखा है फिर भी यह क़ानून परिवारों को इस जांच के लिए तमाम उपाय अपनाने से नहीं रोक पा रहा. देश में तमाम ऐसे जांच केंद्र हैं जो लिंग की पहचान उजागर कर देते हैं. यही नहीं, बच्चे का लिंग जानने के लिए तमाम अमीर परिवार गर्भवती मां को हवाई जहाज से उन पड़ोसी देशों में ले जाते हैं जहां लिंग जांच अवैध नहीं है. लिंग आधारित गर्भपात पितृसत्ता में गहरे तक बैठी हुई है, जहां महिला को कमजोर, पुरुष से हीन और अनचाहा माना जाता है.

लिंग परिक्षण का लिंग अनुपात पर क्या असर पड़ता है?

सेक्स या लिंग अनुपात का अर्थ है किसी इलाके में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या. लिंग आधारित गर्भपात और पैदा होते ही लड़की को मार देने की प्रथाओं के चलते किसी देश के सेक्स अनुपात पर उल्टा असर पड़ता है और ये तमाम सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है.

2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओ की संख्या) निम्न प्रकार से है:

भारत का औसत लिंग अनुपात - 933

ग्रामीण लिंग अनुपात - 946

शहरी लिंग अनुपात - 900

सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात वाला राज्य- केरल - 1058

सबसे कम महिला लिंग अनुपात वाला राज्य- हरियाणा - 861

लिंग आधारित गर्भपात के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हैं?

लिंग आधारित गर्भपात का सबसे अहम प्रभाव यही है कि इससे लिंग अनुपात बिगड़ता है. महिलाओं की संख्या में कमी से कई तरह की दिक्कतें होती हैं जैसे महिलाओं की तस्करी, अपहरण और महिलाओं से बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी.

कृपाल ओझा और उसकी पत्नी मीना मध्य प्रदेश के एक गांव में रहते हैं. मीना की जब मृत्यु हुई तो उसकी 5, 9, 10 और 12 साल की चार बेटियां थीं. लेकिन इतने प्रसव और इलाज के अभाव में कृपाल की केवल एक बेटी ज़िंदा बच सकी. पड़ोसियों का कहना है कि कृपाल की दूसरी बेटी की मौत इसलिए हुई क्योंकि सास ने उसके मुंह में तंबाकू भर दिया था.

शूटिंग टिप्स: इस तरह की कहानियां हर जगह मिल जाएगी क्योंकि हर साल देश में करीब 500,000 कन्या भ्रूण गर्भपात होते हैं. अगर आपको ऐसी कहानी मिलती है तो आप मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो शूट करने की योजना बना सकते हैं. आप परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत तौर पर वक़्त गुजार सकते हैं ख़ासतौर पर सास के साथ. यह जानने की कोशिश करें कि किन वजहों से उन्होंने यह फैसला लिया और क्या वाकई बेटी बोझ है जबकि वे खुद भी एक महिला हैं.

आप इलाके के स्वास्थ्यकर्मियों से भी उनका काम समझने के लिए बात कर सकते हैं. साथ ही यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या वे लिंग पहचान की सुविधा देते हैं. अगर आप कैमरे के साथ जाते हैं तो वे शायद इसे स्वीकार न करें, क्योंकि भारत में लिंग परिक्षण ग़ैरक़ानूनी है. इसलिए इस मामले की जानकारी हासिल करते हुए आपको भी सतर्क रहना होगा.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 5
घर में इंसान, बाहर मर्द

कभी कभी आप को ऐसी स्टोरी भी मिल जाती है: कबीर और उसकी पत्नी कमला का दूसरा बच्चा दो महीने का है. घर पर कबीर बीवी की काफी मदद करता है- बच्चे की देखभाल करता है, उसके कपड़े बदलता है और बच्चे को नहलाता-धुलाता है. लेकिन जब वे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है. वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो वह घर पर करता है और पत्नी की नाराज़गी के बावजूद सिर्फ बच्चे के साथ खेलता है.

शूटिंग टिप्स: इस स्टोरी में कमला की बजाय कबीर को मुख्य पात्र बनाना ज्यादा दिलचस्प रहेगा. इस परिवार के साथ कम से कम एक दो दिन बिताइए, उनको अच्छे से समझिए, उसके बाद शूटिंग कीजिए. यह जरूरी है कि आप कबीर और उसके बच्चे के खेलने के पलों को शूट करें. वह जो भी काम करता है उसे शूट करें. कबीर और उसके बच्चे के CU चेहरा शॉट बहुत जरूरी हैं. विजुअल के द्वारा कबीर और उसके बच्चे के बीच मज़बूत रिश्ता उभरना चाहिए.

कबीर से बातचीत में आप घर के अंदर और घर के बाहर व्यवहार में होने वाले बदलाव के बारे में पूछिए. यह जानने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्यों करता है. क्या उसको इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे? अगर वह मदद नहीं कर पाता तो क्या उसे बुरा लगता है? क्या वह खुद को ढोंगी समझता है या यह उसके लिए एक सामान्य बात

है? ये मौका है जब आप पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन्ही ख़ास परिस्थितियों में पुरुष, किसी ख़ास तरह का व्यवहार क्यों करते हैं. आप इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैंः

अगर आपका पात्र पुरुष है तो ये सवाल पूछे जा सकते हैंः

- पहली बार जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी गर्भवती है तो आपको कैसा लगा और आपने यह बात किस-किसको बतायी?
- जब आपकी पत्नी बच्चा जन रही थी तो आप क्या कर रहे थे?
- आमतौर पर बच्चा जन्मने के दौरान पति को पत्नी के साथ क्यों नहीं रहने दिया जाता?
- जब आपकी पत्नी बच्चे की नर्सिंग कर रही होती है तो क्या आपको जलन होती है?
- क्या आपने बच्चे को कभी नहलाया-धुलाया है?
- अगर आपके पिता को पता चले कि आप बच्चे को नहलाते-धुलाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

अगर आपकी पात्र महिला है तो ये सवाल पूछे जा सकते हैः

- जब आपको पता चला कि आप गर्भवती हैं तो आपको क्या महसूस हुआ और आपने यह बात किस-किसको बतायी?
- बच्चा पैदा होने के वक़्त आपके साथ कौन था?
- आमतौर पर बच्चा जन्मने के दौरान पति को पत्नी के साथ क्यों नहीं रहने दिया जाता?
- क्या आपने कभी अपने पति से बच्चे को नहलाने-धुलाने को कहा है और उनका क्या जवाब था?
- प्रेगनेंसी और बच्चों की देखभाल को लेकर पति इतने संकोची क्यों होते हैं?

फ़िल्मिंग श्रेणी # 3 : **समाज में पितृसत्ता**

समाज लैंगिक आधार पर स्त्री-पुरुष के लिए सांचे और आचार-संहिताएं बनाता है और फिर उम्मीद करता है कि स्त्री-पुरुष इन आचार संहिताओं के हिसाब से व्यवहार करें. यहां तक बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं को किस तरह और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए.

वीडियो कहानी आइडिया # 6
मर्द बन

ज्यादातर लड़कों और पुरुषों ने उनके बचपन में "मर्द बन" या "लड़कियों कि तरह क्यूं रो रहा है" सुना है. इस तरह के मुहावरे हमें लगातार याद दिलाते हैं और सिखाते हैं कि एक लड़के या एक पुरुष के तौर पर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए. लड़कों को यह भी "सिखाया" जाता है कि उन्हें किस तरह के काम करने हैं और किस तरह के काम करने की कोई ज़रुरत नहीं है. लैंगिक आधार पर काम का यह बंटवारा या तो हमें बताया जाता है या हम देखकर अपने-आप इसे सीख लेते हैं. इस प्रकार ये भेदभाव लगातार बना रहता है .
इस तरह के वीडियो में इस अंतर और भेदभाव को पकड़ने की ज़रूरत है कि “क्या करना है और क्या नहीं करना” ये एक लड़के और एक लड़की के लिए किस तरह से भिन्न है.

शूटिंग टिप्स: तीन पात्रों को चिन्हित करें: 1) लड़का उम्र 7 से 10 साल; 2) लड़का उम्र 14 से 18 साल , और 3) एक 25 साल या इससे ज़्यादा उम्र का पुरुष.

प्रत्येक से ये सवाल पूछें:

- आपके माता-पिता द्वारा आपको क्या-क्या सिखाया जाता था?
- क्या चीजें थी जो आपकी बहन को करनी पड़ती है/थी, जो आपको करने कि ज़रुरत नहीं थी?
- क्या चीजें थी जो आपको करनी पड़ती थीं, लेकिन आपकी बहन को करने की ज़रूरत नहीं थी?

इस के लिए बीरोल (B roll) की शूटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है. यहाँ कुछ सुझाव हैं कि आप कैसे दिलचस्प बी रोल (BRoll) शूट कर सकते हैं:

अगर सवाल 1 का जवाब है, "साइकिल चलाना", तो अपने पात्र को साइकिल चलाते हुए शूट करें. अगर जवाब मिले “पेड़ पर चढ़ना”, तो पात्र को पेड़ पर चढ़ते हुए शूट करें.

अगर सवाल 2 का जवाब "कपड़े धोना", तो बीरोल में दिखाएं कि एक लड़की/औरत कपड़े धो रही है और पात्र उसके पास बैठा हुआ है. अगर जवाब है, "रोटी बनाना", तो बीरोल में दिखाएं कि एक लड़की/औरत रोटी बना रही है और पात्र उसे देख रहा है, या रोटी खा रहा है.

अगर सवाल 3 का जवाब है "खेत की जुताई", तो अपने पात्र के खेत की जुताई करते हुए बी रोल लें.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 7
लड़की हो या लड़का?

छुटपन से ही बच्चों को लैंगिक आधार पर व्यवहार करना सिखाया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं और सिखाया जाता है कि खुद को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे अभिव्यक्त करना है. उदाहरण के तौर पर: लड़कियों को धीरे और कोमलता से बोलना चाहिए जबकि लड़कों को ज़ोर से और आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए. एक असली मर्द को खुलकर ज़िंदादिलि से हंसना चाहिए जबकि महिलाओं को धीरे से दबी हंसी में हंसना चाहिए. ये मानदंड और आचार-संहिताएं यहां तक जाती हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसे बैठना, खड़े होना, दौड़ना या नाचना चाहिए आदि-आदि.

जो बच्चे और वयस्क निर्धारित लैंगिक आचार-संहिताओं के अनुरुप व्यवहार नहीं करते, समाज में उनको चिढाया जाता है, ताने सुनने पड़ते हैं, धौंस सहते हैं, गालियां और डांट सुननी पड़ती है. उदाहरण के तौर पर: एक लड़का है जो शर्मिला है. उसे कहा जाएगा "लड़की कि तरह मत शर्मा". एक लड़की है जो बहुत सारे सवाल पूछती है या बहुत बोलती है तो उसको डांटा जाएगा.

शूटिंग टिप्स:

- यह जांचने के लिए कि लैंगिक आधार पर निर्मित शिष्टाचार और व्यवहार किस प्रकार हमारे अंदर तक भरा हुआ है, जो रोजमर्रा की अभिव्यक्ति में दिखाई पड़ता है, यह पता लगाने के लिए, तीन लड़कों और तीन लड़कियों का चुनाव करें. 10 से 15 साल की उम्र के बीच के बच्चें ज्यादा उपयुक्त रहेंगे.

- प्रत्येक बच्चे को कैमेरा के सामने निम्नलिखित करने को कहें:
  - ❖ पुरुष की तरह हंसो और एक औरत की तरह हंसो. प्रत्येक पात्र के एक MS आधा शाट में इसे फ़िल्माएं.
  - ❖ औरत की तरह रोना और एक पुरुष की तरह रोना. प्रत्येक पात्र के एक MS आधा शाट में इसे फ़िल्माएं.

- ❖ पुरुष की तरह खड़े हो जाओ और एक औरत की तरह खड़े हो जाओ. प्रत्येक पात्र को एक LS पूरा शॉट में फ़िल्माएं.
- ❖ पुरुष की तरह बैठो और एक औरत की तरह बैठो. प्रत्येक पात्र को एक LS पूरा शॉट में फ़िल्माएं.
- ❖ पुरुष और एक औरत की तरह नाचना. प्रत्येक पात्र को एक LSपूरा शॉट में फ़िल्माएं.

- यह कार्य एसी जगह पर करें जहां बच्चे ये सब करने में सहज. आप लड़के और लड़कियों का फ़िल्मांकन अलग-अलग भी कर सकते है, अगर बच्चे ऐसा करने से ज्यादा सहज महसूस करते हैं.
- आप अपने पास अलग से एक दुपट्टा या स्कार्फ रखें, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा इसे साड़ी या पगड़ी के रूप में उपयोग करना चाहे.
- यह वीडियो पूरी तरह से दृश्यों पर आधारित होगी. इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि शॉट्स बहुत शानदार होने चाहिए.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 8
समाज के बंधन

ऐसी बहुत सी चीजें है जिन्हें समाज पुरुषों या महिलाओं को करने या न करने की वक़ालत करता है. दिलचस्प बात ये है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए 'हां' और 'ना' की इस सूचि में बहुत अंतर होता है. अक्सर महिलाओं के लिए "ना" यानि प्रतिबंधों की सूचि ज्यादा लंबी होती है. हम इस विषय पर वीडियो कैसे बना सकते हैं? इसे करने का एक तरीका इस प्रकार हैः

समूह में 9 लोगों से ये सवाल पूछिए

- 1: सामाजिक नियमों के तहत पुरुष क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?
- 2: सामाजिक नियमों के तहत महिला क्या कर सकती है और उसे क्या करने की अनुमति नहीं है?
- 3: क्या समाज में महिला और पुरुष का दर्जा बराबर होना चाहिए?
- 4: बाल विवाह निषेध अधिनियम- 2006 के अनुसार स्त्री (18 वर्ष) और पुरुष (21 वर्ष) की शादी की आयु अलग-अलग है. लड़के-लड़कियां दोनों 18 साल की आयु में मतदान कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं. तो फिर शादी की आयु में ये अंतर क्यों. क्या ये ज़रूरी है? क्यों?

जिन 9 लोगों से ये सवाल पूछे जाएं वे ये होने चाहिए:

- 1. बूढ़ी औरत
- 2. बूढ़ा पुरुष
- 3. शादीशुदा महिला
- 4. शादीशुदा पुरुष

- 5. किशोर अविवाहित लड़की (12 से 16 साल की)
- 6. किशोर अविवाहित लड़का(12 से 16 साल के)
- 7. लड़की (6 से 8 साल की)
- 8. लड़का (6 से 8 साल के)
- 9. वर्दी पहनने वाला कोई व्यक्ति (डाकिया, सिपाही, महिला सिपाही, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, फायर ब्रिगेड कर्मचारी, एंबुलेंस ड्राइवर आदि)

वर्दी वाले कुछ लोगों का इंटरव्यू दिखने में भी (विजुअली) काफी रोचक होगा. इसकी एक वजह ये भी है कि वर्दी कहीं न कहीं सिस्टम या व्यवस्था को दर्शाती है. इंटरव्यू देने वाले हर शख़्स के कम से कम पांच ऐसे BRoll होने चाहिएं जिससे पता चल सके कि वह क्या काम करता है. कृपया इसे एक क्रम में रखें.

वीडियो एडिटर कई जगहों के CC से आने वाले फुटेज को एडिट कर, एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जो व्यापक तौर पर जनमत की राय को प्रतिबिंबित करता हो. पितृसत्ता पर विमर्श की शुरुआत के लिए ये बहुत बढिया रहेगा.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 9
विधवा और विधुर

हम सबके लिए विचार करने योग्य कुछ सवाल:

- जिस महिला के पति की मौत हो चुकी हो उसे विधवा कहते हैं. ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है?
- मेरे समाज में विधवा कैसी दिखती है? क्या वह शादीशुदा महिला से अलग कपड़े पहनती है? क्यों?
- मेरे समाज में विधुर कैसा दिखता है? क्या वह शादीशुदा पुरुषों से अलग कपड़े पहनता है? क्यों?
- सरकार विधवाओं को पेंशन देती है. विधुरों के लिए पेंशन की योजना क्यों नहीं है?

आशा और सुनील की उम्र पचास के करीब है और एक ही गांव में रहते हैं. दो साल पहले आशा के पति की टीबी से मौत हो गयी जबकि सुनील की पत्नी एक साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गयी.

पति की मौत के बाद से आशा का जीवन ही उलट-पुलट हो गया. वह जैसे-तैसे करके गुजारे और अपने बच्चों को पालने का संघर्ष कर रही है. वह अपने घर की चारदिवारी के भीतर रहने को प्रतिबंधित है. उसे भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है. समाज उसे अपने दुख से उबर कर नयी ज़िंदगी शुरू करने का मौका नहीं देता. इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि उसे पति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा. इसलिए वह अपने सास-ससुर और देवरों के साथ रहने को मज़बूर है. आशा के पास दूसरी शादी का विकल्प भी नहीं है."लोग क्या कहेंगे? यह कैसी औरत है जो पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर रही है? लोग मुझे किन-किन नामों से बुलाएंगे?" ये सवाल आशा की बेचैनी

और उसके अकेलेपन को और भी बढ़ा देते हैं. वह गुस्से में पूछती है, “समाज मुझे दोबारा जीवनसाथी चुनने की इजाज़त क्यों नहीं देता?”

सुनील की पत्नी की मौत के बाद से उसकी मां उसके बच्चों को पाल रही है. घरवालों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी है और इस साल वह दूसरी शादी कर लेगा.

शूटिंग टिप्स: बाकी मामलों की तरह यहां भी सबसे अहम है कि मुख्य चरित्रों को पूरी जानकारी देकर उनकी सहमति ली जाए और शूटिंग से पहले कम से कम एक दिन उनके साथ बिताया जाए और उनको अच्छी तरह से समझा जाए. उन्हें (ख़ासतौर पर आशा को) अपनी पहचान छुपाने का विकल्प दिया जाए. आशा के घर के काम करने के शॉट लीजिए मसलन खाना बनाते, सफाई करते, बच्चों को तैयार करते, अख़बार पढ़ते हुए आदि. उससे आपकी बातचीत उसके पति की मौत और उसके विविरण के बारे में नहीं होगी बल्कि इस विषय पर केंद्रित होगी कि फिल्हाल वह कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही है, भविष्य में वह क्या चाहती है और क्या उम्मीदें हैं. आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि दर्शक को अपने आप यह अहसास हो कि विधवा होने पर आशा क्या महसूस करती है, विधवाओं को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, विधुर क्यों दूसरी शादी कर सकते हैं और विधवा क्यों नहीं. उसके हिसाब से समाज विधवा विवाह को मंजूरी देने से क्यों डरता है आदि.

यदि आप का मुख्य पात्र सुनील है तो उसके साथ वक़्त बिता कर उसके ज्यादा से ज्यादा बीरोल लेने चाहिए कि वह क्या-क्या करता है. उसके कामों के सीक्वेंस शाट लें न कि अलग-अलग कामों के केवल एक-एक शॉट. उससे भी वही सवाल पूछने होंगे कि वह दूसरी शादी की क्यों सोच रहा है? बच्चे के जीवन में मां की क्या अहमियत है? बच्चे के जीवन में पिता की क्या अहमियत है? यदि बच्चे के लिए पिता अहम है तो विधवा को दूसरा विवाह करने की इजाज़त क्यों नही है? समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम क्यों? क्या अलग-अलग नियम होने चाहिए?

फ़िल्मिंग श्रेणी # 4 | **शिक्षा में पितृसत्ता**

वीडियो स्टोरी आइडिया # 10

यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन हक़ीक़त है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्कूल किस तरह पितृसत्ता और भेदभाव को मज़बूती प्रदान करते हैं. शिक्षण संबंधी चार्टों पर ही आप आसानी से एक वीडियो बना सकते हैं. जो आमतौर पर सभी स्कूलों की दिवारों पर पाए जाते हैं. इन चार्ट्स में तमाम कारोबारों और व्यवसायों के बारे में समझाया जाता है. मसलन, ऐसे चार्ट जिसमें तमाम तरह के कारीगर होते हैं, या सेहत से जुड़े चार्ट जिनमें सफाई पर जोर दिया जाता है. आप महसूस करेंगे कि ज्यादातर चार्ट लैंगिक भेदभाव वाले होते हैं. कारोबारों और व्यवसायों वाले चार्ट में पुरुषों को ड्राइवर, डॉक्टर, इंजीनियर, बढ़ई आदि के तौर पर दिखाया जाता है जबकि नर्स, टीचर, महिलाएं होंगी. आप यह भी देखेंगे कि ज्यादातर चार्ट में पुरुषों के चित्र होते हैं.

शूटिंग टिप्स: अगर आपकी नज़र ऐसे किसी चार्ट पर पड़ती है तो आपको उसे अलग-अलग एंगल्स से, अलग-अलग शाट में शूट करना होगा. चार्ट की ख़ास-ख़ास बातों का CU चाहरा शाट लीजिए. इस चार्ट को लेकर लड़के और लड़कियों के साथ समूह में चर्चा कीजिए और इस चर्चा को शूट कीजिए. विद्यार्थियों से पूछिए कि चार्ट में पुरुषों के चित्र ज्यादा और महिलाओं के कम क्यों हैं. उन्से पूछिए कि ज्यादातर कारोबारों में पुरुषों की तस्वीर क्यों है. क्या कोई ऐसा कारोबार है जो महिलाएं नहीं कर सकतीं? यह जानने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं. क्या आपको घिसेपिटे जवाब मिलते हैं कि लड़कियां टीचर, डॉक्टर या नर्स बनना चाहती हैं जबकि लड़कों ज्यादा विकल्पों को ढूंढ रहे हैं. जानने की कोशिश कीजिए कि विकल्पों और चुनाव का ये सांचा कैसे बना है.

आप शिक्षकों से भी ऐसे ही सवाल पूछ कर जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वे भेदभाव महसूस करते हैं? ये वीडियो हमें दिखाएगा कि इस लिंग भेदी सोच पर आधारित तस्वीरों को हमने इतना ज़्यादा आत्मसात कर लिया है कि हमारे लिए ये अब सामान्य सी बात है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 11
लड़कियों के स्कूल छोड़ने की वज़ह?

हमारे गांवों में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या कही ज्यादा है और यह आम है. यह संख्या और बढ़ जाती है जब गांव में दसवीं तक का स्कूल न हो और बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव या दूर शहर तक

चल कर जाना पड़ता हो. समाज के दबाव में या फिर सुरक्षा की वजह से मां-बाप लड़कियों का स्कूल छुड़वा देते हैं. अक्सर मैरी जैसी लड़कियों को इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है ताकि वह छोटे भाई-बहन की देखभाल कर सकें और आजीविका कमाने में मां-बाप की मदद कर सकें.

मैरी की उम्र 12 साल है और चार भाई बहनो में दूसरे नंबर पर है. 14 साल का उसका बड़ा भाई विक्टर स्कूल जाता है लेकिन उसका स्कूल छूट गया है क्योंकि उसे छोटे भाई-बहनों को संभालना है. मैरी के मां-बाप दिहाड़ी मज़दूर हैं और उन्हें काम के लिए सुबह जल्दी निकलना होता है. मैरी अपने भाई-बहनों के लिए खाना पकाती है उन्हें खिलाती है और दिनभर उनका घ्यान रखती है. विक्टर अपनी साइकिल से स्कूल जाता है.

शूटिंग टिप्स: क्या आप अपने गांव में मैरी जैसी किसी लड़की के बारे में जानते हैं? क्या आपके गांव में ये आम बात है? आप स्कूल छोड़ने की वजह जानने के लिए वीडियो फ़िल्म तैयार कर सकते हैं. मैरी को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे अपने भाई-बहनों की देखभाल करनी थी. लेकिन कई और वजहें भी हो सकती हैं जैसे स्कूलों में टॉयलेट न होना, लड़कियों की सुरक्षा का डर या छोटी बच्चियों को घर पर रखने का समाज का दबाव.

ऐसी स्टोरी को शूट करने में दो तत्व पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए– 1) मैरी या उस जैसी लड़की की ज़िंदगी कैसी है. उसे बचपन में ही जबरन व्यस्क की भूमिका निभाने को मज़बूर कर दिया गया है और छोटे भाई-बहनों की देखभाल के ज़रिये उसे एक मां बनने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. ये है जो हमारा परंपरागत और रूढ़िवादी समाज चाहता है. 2) विक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उससे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा भी नहीं की जाती. वो परंपरागत तौर पर रोटी कमाने वाले की भूमिका के लिए तैयार हो रहा है.

फ़िल्म के लिए मैरी और विक्टर की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के दृश्य सबसे ज़रूरी हैं. दर्शकों को दिखाना होगा कि दोनों की ज़िंदगी किस तरह भिन्न है. विक्टर से पूछिए कि वह भाई बहनों का ध्यान क्यों नहीं रखता और उसे स्कूल क्यों नहीं छोड़ना पड़ा? बड़ा होकर वह क्या बनेगा और मैरी क्या करेगी? उसकी साइकिल के बारे में बात कीजिए कि क्या उसे साइकिल चलाकर स्कूल जाने में मजा आता है? मैरी से पूछिए कि क्या वह कभी साइकिल चलाती है? अगर हां, तो उसे साइकिल चलाते हुए शूट किजिए. अगर नहीं तो पूछिए क्या वह चलाना सीखना चाहती है? विक्टर से भी पूछिए कि क्या वह अपनी बहन को साइकिल चलाना सिखाएगा? इस तरह के सवालों से आप को उन दोनों के बीच जुड़ाव का अंदाज़ा लग जाएगा. साथ ही आने-जाने की सुविधा का मुद्दा भी सामने आएगा और पता चलेगा कि बच्चे इस बाबत क्या सोचते है.

आप माता-पिता का भी इंटरव्यू ले सकते हैं ताकि उनकी सोच का अंदाज़ा लगाया जा सके कि उन्होंने लड़की की बजाय लड़के की पढाई और करियर को क्यों चुना.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 5 | **सांस्कृतिक में पितृसत्ता**

“यह तो हमारी परंपरा है”

यूं तो धर्म में समानता का पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन हक़ीक़त में आमतौर पर महिलाओं के संदर्भ में असमानता का पाठ पढाया जाता है. धर्म में महिलाओं की भूमिका गौण एवं अधिनस्थ की होती है. धार्मिक सत्ता और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें पूरी तरह बाहर रखा जाता है. फिर भी धर्म समानता और न्याय का भरोसा दिलाता है. शायद इसीलिए महिलाओं पर पुरुषों के आधिपत्य में धर्म की अहम भूमिका होने के बावजूद महिलाओं के लिए धर्म मदद और सहयोग की उम्मीद का स्रोत लगता है. मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के साथ मुख्य स्थान पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं है? हमें कोई महिला पुजारी या पुरोहित क्यों नहीं दिखती? तमाम सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं और रीतियां भी महिलाओं को कई प्रकार से नियंत्रित करती हैं और उन्हें इससे बाहर रखती हैं. ऐसी बहुत सी सामाजिक तौर पर मान्य प्रथाएं व रूढियां हैं - जैसे जननांग विकृति, लड़कियों को न पढ़ाना, लड़कों को बेहतर भोजन देना, लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह, माहवारी के दौरान छुआछूत - जिनसे महिलाओं को नुकसान होता है और ये उनकी ज़िंदगी को और भी कठिन व कष्टप्रद बनाती है. हालांकि धर्म की तरह ही संस्कृति भी महिलाओं के बीच और महिलाओं और पुरुषों के बीच सामंजस्य और एकता का स्रोत हो सकती है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 12
बाल विवाह: बेटी बोझ समान

लता और शेखर के चार बच्चे हैं - 3 बेटियां और सबसे छोटा एक बेटा. चारों बच्चों में 13 साल की शीना सबसे बड़ी है. वह महत्वाकांक्षी है और आगे पढ़ना चाहती है. हालांकि, माता-पिता उसकी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं और उन्हें बेटी को पढ़ाने में कोई फायदा नहीं दिखता. चार बच्चों की परवरिश में आर्थिक दिक्कत झेल रहे दंपती ने शीना की शादी करने का फैसला लिया है.

शूटिंग टिप्स:

1. इस स्टोरी को शूट करते वक़्त आपको माता-पिता के साथ-साथ लड़की का भी इंटरव्यू करना चाहिए. माता-पिता को इंटरव्यू करते वक़्त आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने बेटी की शादी करने का फैसला क्यों लिया? वे उसे आगे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्या वह समझते हैं कि उनकी बेटी शादी और बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम और तैयार है? उसकी उम्र शादी लायक नहीं है, क्या वे इस उम्र में शादी होने के ख़तरों के प्रति चिंतित हैं?

2. बाल विवाह अक्सर दहेज से जुड़ा होता है. कुछ समुदायों में लड़की की उम्र बढ़ने पर ज्यादा दहेज देना पड़ता है. आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने दहेज दिया है और कहीं शादी की वज़ह यही तो नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ दहेज भी बढ़ेगा?
3. पुरुष CC किसी पुरुष अभिभावक, पिता, भाई, चाचा आदि से बात कर बाल विवाह के बारे में ये जानकारी ले सकते हैं.
4. लड़की के साथ इंटरव्यू में आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए: क्या वह जानती है कि शादी क्या होती है? क्या उसे पता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? उसे किस चीज की कमी सबसे ज्यादा खटकेगी? क्या वह जानती है कि बाल विवाह अपराध है?
5. वह शायद खुल कर बात न कर सके. इसलिए उससे बातें कीजिए और जवाब देने के लिए दबाव मत डालिए. वह अगर नहीं बोलती तो भी ठीक है. जवाब देने में उसकी असमर्थता या रटे-रटाए जवाब या उलझन भरी चुप्पी भी काफी अहम है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 13
माहवारी से जुड़ी शर्म, कलंक और ख़ामोशी

हम सब यह जानते हैं कि महिलाओं में माहवारी एक प्राकृतिक, जैविक प्रक्रिया है. फिर भी, आपने कभी इस पर ग़ौर किया है कि इस बारे में हमेशा फुसफुसाते हुए और दबी आवाज़ में बात क्यों होती है? परिवार या समाज के पुरुषों के सामने महिलाएं माहवारी के बारे में शायद ही कभी बात करती हैं, क्यों? कोई केमिस्ट सैनिटरी नैपकिन के पैकेट को काले पॉलिथीन में या अख़बार में लपेट कर क्यों देता है, मानो वह कोई प्रतिबंधित सामान बेच रहा हो? एक महिला के तौर पर क्या आपको इसका अनुभव है? क्या इसकी वज़ह से आपको कभी रसोई-मंदिर-पूजा में बैठने से रोका गया है? एक पुरुष के तौर पर क्या माहवारी पर बात करने में आपको शर्म आती है?

क्या आपने कभी ग़ौर किया है कि एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को लेकर हम इतने शर्मसार क्यों है? क्यों महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी माहवारी ख़ामोशी और कलंक के बीच झूलती है, जिसकी वज़ह से तमाम भ्रांतियां और ग़लत जानकारी फैलती है?

अदिति गुप्ता 11 वर्ष की थी जब अंडरवियर पर ख़ून के धब्बे देख कर वह घबरा गयी और उसे सदमा और झटका लगा. उसे एक त्वरित समाधान दिया गया- एक कपड़ा- जैसा कि उसके परिवार में पीढ़ियों से महिलाएं करती आ रही थी. फिर उसके 'स्त्रीत्व' प्राप्त होने पर एक भौंडा उत्सव हुआ. लेकिन अदिति सोचती रही, 'आखिर इसका मतलब क्या है?'

शुरुआती वर्षों में जब भी उसे माहवारी होता, वह 'अशुद्ध' हो जाती. वह मंदिर नहीं जा सकती थी, खेल नहीं सकती थी और इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी. पुरुषों से तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं था, महिलाओं से भी दबी आवाज़ में बात करना पड़ती.

15 साल की उम्र में अदिति को सैनिटरी नैपकिन दिये गये. टीवी पर सैनिटरी नैपकिन के विज्ञापन आते ही चैनल बदल दिया जाता. जब उसने केमिस्ट से मांगा तो उसने जल्दी से एक अख़बार या काले पॉलिथीन में लपेट कर दिया मानों वह कोई अवैध वस्तु हो. जब वह कपड़े का प्रयोग करती थी तब भी घर में पुरुषों की नज़र से दूर एक ख़ास स्थान पर ही वह माहवारी वाले कपड़े सुखा सकती थी.

अदिति को धीरे-धीरे समझ मे आ गया कि क्यों उसके घर की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन की बजाय कपड़े का इस्तेमाल करती थीं- क्योंकि इसे मांगना बस शर्मनाक था.

शूटिंग टिप्स: ज्यादातर महिलाएं अदिति के अनुभव से इत्तेफ़ाक रखेंगी. माहवारी के दौरान आप में से भी कुछ को रसोई में घुसने या मंदिर जाने से मना किया गया होगा. यदि आपका अनुभव ऐसा नहीं रहा तो शर्तिया आप किसी को जानती होंगी जिस पर यह गुजरी हो. आप इस फ़िल्म के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों का इंटरव्यू कर सकते हैं. आप दोनों में से किसी एक का भी इंटरव्यू कर सकते हैं.

यदि आप महिला CC हैं तो इस फ़िल्म में आप खुद भी एक पात्र हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त को शूटिंग की ट्रेनिंग देनी होगी.

यदि आपको अपनी फ़िल्म के लिए पात्र मिल भी गया है, तो भी आपको इस बारे में बात करने में मुश्किल आ सकती है. चूंकि माहवारी को लेकर एक ख़ामोशी सी रहती है, ऐसे में आपको अपने पात्र को समझने के लिए उसके साथ वक़्त बिताना होगा. आप उससे बातचीत कीजिए न कि सवाल जवाब. आपकी बातचीत और कैमरे पर इंटरव्यू में ये मुद्दे शामिल होने चाहिए:

किसी महिला का इंटरव्यू करते वक़्त ये सवाल पूछे जा सकते हैं:

पहली बार माहवारी होने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी?

1. क्या आपको जानकारी थी कि आपके शरीर में क्या हो रहा है? क्या आपको इस बारे में परिवार के सदस्य / दोस्त / शिक्षक / आंगनवाड़ी वर्कर ने बताया था? आपको क्या बताया गया?
2. जब आपको माहवारी हुआ तो आपने इस बारे में किसे बताया और क्यों? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने क्या कहा?

3. क्या ये बातचीत प्रतीकात्मक थी या गूढ़ भाषा में थी? आपको क्या बताया गया? जवान होने पर आमतौर पर लड़कियों से कहा जाता है- 'तू अब बड़ी/सयानी हो गयी है?' हम यह जानना चाहेंगे कि किस भाषा में किस तरह बताया गया. यह जानना रोचक होगा कि संदेश प्रतीकात्मक था या गूढ़.
4. क्या आप याद कर सकती है कि उस वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था?
5. क्या कोई अनुष्ठान किया गया?
6. क्या माहवारी के दौरान आप पर किसी तरह की पाबंदी थी? कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकती थीं? जैसे रसोई या मंदिर जाना. यदि हां तो आपकी राय में इसकी वज़ह क्या है?
7. यह भी संभव है कि आपके पात्र ने शुरुआत में तमाम पाबंदियां झेली हों लेकिन अब नहीं. यदि ऐसा है तो यह बदलाव की कहानी बन जाती है. ऐसे में आपको अपने पात्र से पूछना चाहिए कि ये बदलाव कैसे आया?
8. क्या आप माहवारी के बारे में परिवार के पुरुष सदस्यों से चर्चा करती हैं?

इस मामले में पुरुषों का इंटरव्यू भी रोचक हो सकता है. उनसे पूछा जा सकता है:

1. आपने माहवारी के बारे में पहली बार कब सुना? आपको कैसे पता लगा? क्या आपको किसी ने बताया? उसने क्या बताया?
2. क्या आपने किसी को माहवारी पर बात करते सुना है? किस संदर्भ में?
3. क्या माहवारी से महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं? यदि हां तो किस तरह? यदि नहीं तो क्यों?
4. क्या आपने कभी सैनिटरी नैपकिन ख़रीदे हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या आप कभी ख़रीदेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

वीडियो स्टोरी आइडिया # 14
विवाह के प्रतीक

ढाणी मिया ख़ान गांव की सुषमा भादू ने 32 साल तक घूंघट ओढ़ा और एक आम हरियाणवी बहू के तौर पर अपने पति और तीन बच्चों की जरूरतों को पूरा किया. उसने अपने घर के सभी दायित्व निभाए और बाहर काम करने भी गयी. उसने सातवीं कक्षा में पढ़ायी छोड़ दी थी लेकिन अपने समुदाय के कल्याण में उसकी रुचि हमेशा रही.
एक दिन उसने अपने पति भगवान दास से कहा कि घूंघट उसके काम में आड़े आ रहा है और उसने महिला पंचायत सदस्यों, छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने घूंघट उतार दिया. उसके मुताबिक यह उसके मतलब का नहीं क्योंकि उसे अपने परिवार में या गांव के कल्याण के काम में रुकावट पहुंचाता है. लेकिन सबसे अहम यह कि यह उसकी पहचान को भी ख़त्म करता है. कई और महिलाओं ने भी इसे देख अपने घूंघट उतार दिये. दास को अपनी पत्नी के किये पर गर्व है क्योंकि वह गांव की सरपंच है और गांव की बेहतरी के लिए वह सफाई और अन्य तमाम परियाजनाओं आदि से जुड़ी है. हालांकि पड़ोसी गांवों के पुरुष ढाणी मिया ख़ान गांव की महिलाओं का यह कह कर मज़ाक उड़ाते हैं, 'अब तो तुम्हें छूट मिल गयी है, कुछ भी कर सकती हो.'

अगर आपके समाज में घूंघट या पर्दा प्रथा चलन में है तो क्या आपको इस तरह का परिदृश्य देखने को मिलेगा? भादू जैसी कितनी ही अनपढ़ या कम पढी-लिखी महिलाएं हैं जिनमें अपने पति या परिवार से यह कहने और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने की हिम्मत है? क्या आप इस तरह की सच्ची घटना के आधार पर महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए एक दिन बिताएंगे और उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद करेंगे?

शूटिंग टिप्स: हिंदुओं में घूंघट शादी का प्रतीक है लेकिन हिज़ाब या बुर्का आमतौर पर शादी का प्रतीक नहीं है. यदि आपकी स्टोरी घूंघट या पर्दे पर है तो अपने पात्र के साथ वक़्त बिताइये और घूंघट या पर्दे के साथ तमाम काम करते उसके खूब सारे बी रोल लीजिए.

इंटरव्यू के दौरान आप उससे पूछ सकते हैं:

- आप घूंघट कबसे कर रही हैं? इसे आपने क्यों शुरू किया?
- क्या आपको घूंघट चुनने का विकल्प दिया गया था या इसे आप पर थोपा गया?
- क्या यह आपको पसंद है? क्यों और क्यों नहीं?
- आपके हिसाब से इस प्रथा के पीछे क्या कारण है?
- क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इसका पालन करना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं?

यदि आप शादी के प्रतीकों को खोजना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रतीकों के कई बी रोल शूट कर सकते हैं:

- वास्तविक शादी के बी रोल. हालांकि यह जरूरी नहीं है.
- शादी के कुछ हफ़्ते बाद दूल्हा-दुल्हन का बी रोल.
- ये बी रोल लेते वक़्त आपको ध्यान रखना होगा कि सिर से लेकर पांव तक हर अंग पर शादी के प्रतीक होते हैं: सिंदूर, माथे की बिंदी, मंगलसूत्र, नथ, खास रंगों या पदार्थ की चूड़ियां, अंगूठी, कमरबंद, बिछिया, पाजेब. पुरुषों और महिलाओं में यह किस तरह अलग होता है यह देखना भी रोचक होगा. क्या किसी आदमी को देख कर कहा जा सकता है कि वह शादीशुदा है?

आप दुल्हन से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं:

- इन प्रतीकों के महत्व के बारे में उसकी क्या राय है? वह इन्हें क्यों पहनती है? क्या आदमी को देख कर बताया जा सकता है कि वह शादीशुदा है? वह वीडियो दिखाइए और बाकी लोगों (पुरुषों) की प्रतिक्रिया शूट कीजिए- सभी जवाबों में होगा कि महिलाएं ज्यादा जेवर पहनती हैं- केवल महिलाएं अपने शादीशुदा होने का प्रदर्शन क्यों करें?
- शादी का बाद ज़िंदगी बदलेगी, इस बारे में क्या राय है?
- क्या आपको माता-पिता का घर छोड़ने पर डर लगता है? क्या आप नए लोगों, ससुराल, में रहने को लेकर घबरा रही हैं?

- आपके बच्चों को किसका नाम मिलेगा? यदि वह कहती है कि उसके पति का, तो पूछिए कि उसे इसको लेकर कैसा लगता है?
- क्या शादी के बाद आपका नाम बदला है? क्या आपने कभी सोचा है कि केवल महिलाओं को ही नाम क्यों बदलना होता है?

आप इन्हीं सवालों के आधार पर पुरुषों का इंटरव्यू भी कर सकते हैं.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 15
औरत डायन और पुरुष ओझा

महिलाओं को डायन या चुड़ैल क़रार देना एक पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथा है. डायन कहलाने वाली महिलाओं को भूतनी, चुड़ैल भी कहा जाता है और इन्हें हरामज़ादी, बापचोदी, बेहया, बेशर्म, रंडी, कुलच्छिनी, कुतिया, बेटा खौकी आदि नाम भी दिये गये हैं. किसी को डायन घोषित करने की कई वज़हें हैं जैसे ख़राब फसल, सांप द्वारा दूध पी जाना, अनुष्ठान की जगह से किसी वस्तु का गायब होना या बीमारी की बहानेबाजी या वास्तव में तबीयत ख़राब होना (पेट दर्द, बुख़ार, लकवा, मिर्गी समेत दिमागी परेशानी, त्वचा के रोग, जोड़ों में दर्द आदि), बच्चा न पैदा कर पाना, बीमारी की वज़ह से मौत या हत्या (किसी और ने की हो) और आत्महत्या.

ज्यादातर मामलों में आर्थिक तौर पर सशक्त एकल महिलाएं विधवा समेत, सामाजिक सीमाओं को लांघने वाली, असाधारण शारीरिक विशेषताओं वाली औरतों को डायन के तौर पर प्रचारित कर उनके ख़िलाफ हिंसा की जाती है. हालांकि यह अंधविश्वास है, लेकिन आम तौर पर इसकी आड़ में, अंधविश्वास की चादर के तले लोग आर्थिक व अन्य झगड़ों का कांटा निकालते हैं.

किसी आदमी या औरत पर से इस डायन का साया हटाने के लिए ओझा को बुलाया जाता है जो झाड़-फूंक के जरिए इसे हटाने का दावा करते हैं.

डायन प्रथा के खिलाफ झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में बाकायदा क़ानून है- छत्तीसगढ़ में तोनाही प्रताड़ना कानून 2005, बिहार में प्रिवेंशन ऑफ विच (डायन) प्रैक्टिसेज एक्ट 1999 और झारखंड में विचक्राफ्ट प्रिवेंशन एक्ट 2001. हालांकि देश के 9 अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. ये हैं – हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और असम.

शूटिंग टिप्स: क्या आपने अपने गांव या आसपास ऐसी घटना के बारे में सुना है? ऐसी स्टोरी में आपको इस प्रथा और अंधविश्वास के पीछे के कारणों को बताना होगा.

- यदि आपकी महिला पात्र को डायन बताया जा रहा है तो इसकी असली वज़ह पता कीजिए कि उसे डायन क्यों क़रार दिया गया है. सिर्फ घटना पर ध्यान मत केंद्रित कीजिए... ऐसे मामलों में उसके बेटे-बेटी या किसी रिश्तेदार से भी इंटरव्यू कर सकते हैं.
- अगर इस दौरान उसकी मौत हो जाती है तो परिवार के सदस्यों का इंटरव्यू काफी महत्वपूर्ण होगा और उनसे पूछा जा सकता है कि उनकी राय में जाति बाहर करने या डायन का ठप्पा लगाने की असली वज़ह क्या है? क्या वे इसे अंधविश्वास मानते हैं? क्या यह आर्थिक या वैवाहिक झगड़ा था? क्या उन्होंने कोई क़ानूनी रास्ता अपनाया? पुलिस का क्या रवैया था? क्या पुलिस ने कार्रवाई की?
- आप अपने गांव में ओझा का भी इंटरव्यू कर सकते हैं. आप पूछ सकते हैं कि उसकी राय में कोई औरत क्यों डायन हो जाती है? क्या कुछ औरतें इसी हालत में पैदा होती है? डायन के साथ क्या और कैसा सलूक किया जाना चाहिए? अपने गांव में इस पात्र को ढूंढने के लिए आपको पता करना होगा: यह कौन तय करता है कि गांव में कोई औरत डायन है? आमतौर पर कोई धार्मिक गुरु या पंडित ही ऐसा करता होगा.

- आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं: बीते दस सालों में आपने कितनी डायनों की पहचान की है? आप डायन को कैसे पहचानते है? क्या वह कोई ख़ास हरकत करती है या दिखती है? वे क्या करती हैं? वे क्या खाती है? आपको कैसे पता चलता है कि कोई औरत डायन है? क्या वह हवा में उड़ती है? इस इंटरव्यू में अपने पात्र को सिर्फ बात करने दीजिए. यह सुनना काफी रोचक होगा कि वो बोल क्या रहा है.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 16
ज्यादातर धर्म गुरु या पुजारी पुरुष ही क्यों होते हैं, महिला पुजारी / पादरी / मौलवी क्यों नहीं?

महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाली नीता ने एक मंदिर के पुजारी से पूछा कि महिलाएं पुजारी क्यों नहीं होतीं? उसका जवाब था, 'हर महीने माहवारी के चक्र से गुजरने वाली महिला पवित्र रस्में कैसे कर सकती है? नीता ने पहले किसी महिला पुजारी को नहीं देखा था लेकिन वह यह नहीं समझ सकी कि हर महीने माहवारी की वज़ह से वह कैसे अपवित्र या अछूत हो जाती है? उसने एक ऐसे स्कूल को लिखना तय किया जो महिलाओं को प्रवर्तन, सगाई, विवाह, परिवर्तन, गृह प्रवेश, पुरखों की पूजा और अंतिम संस्कार की रस्मों का प्रशिक्षण देता है. नीता फ़िल्हाल पुजारी बनने का प्रशिक्षण ले रही है और जल्दी ही वह देशभर में 1600 महिला पुजारियों की जमात में शामिल हो जाएगी.

‘आज भी महिला पुजारियों को आमतौर पर किनारे ही रखा जाता है और अहमियत नहीं दी जाती है’ लेकिन कुछ पुरुष पुजारियों द्वारा विरोध, मखौल और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद महिलाओं को इस राह पर चलते रहना चाहिए.

परंपरागत तरीके से रस्में करने वाले कुछ पुरुष पुरोहित इस नए चलन से काफी परेशान हैं क्योंकि यही उनकी आमदनी और रोजी रोटी का जरिया है. कुछ का कहना है कि ‘हिंदू पुजारी के तौर पर आपको कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है और महिला पुजारी इनका उत्तर नहीं दे सकतीं क्योंकि उन्हें सतही प्रशिक्षण दिया जाता है. मेरी राय में जब तथाकथित महिला पुजारी धार्मिक रस्मों में कांट-छांट कर उन्हें छोटा करती हैं तो यह लोगों को धोखा देने के समान है. इससे पुरोहिती का पेशा बदनाम होता है.‘

शूटिंग टिप्स:

1. ऐसा वीडियो तैयार करना काफी मज़ेदार हो सकता है. इस वीडियो को महिला पुजारी या मौलवी पर भी केंद्रित किया जा सकता है. क्या आप अपने गांव में किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो पुजारी / पादरी या मौलवी हो? उसका अनुभव क्या रहा है? चुनौतियां क्या रही हैं? उसे एक ऐसे व्यवसाय को अपनाने की प्रेरणा कहां से मिली जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है? इस बारे में समाज के लोगों की क्या राय है?
2. आप पुरुष पुजारी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं. आप इस बारे में उसकी राय पूछ सकते हैं कि क्या महिलाएं पुजारी बन सकती हैं? क्यों/क्यों नहीं? उनके मुताबिक महिलाएं कब धार्मिक गुरु बन सकती हैं? यदि महिलाएं पुरोहिताई करती हैं तो मानवजाति का भविष्य क्या होगा?
3. धार्मिक स्थानों के खूब सारे बी रोल शूट कीजिए, अपने पात्र के सीक्वेंस शूट कीजिए.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 6 | **राजनीति में महिला**

पृष्ठभूमि: क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार की मंत्रिपरिषद के 75 मंत्रियों में कितनी महिलाएं हैं? महज 8 यानि सिर्फ 10 प्रतिशत है.(आंकड़ा, जुलाई 2016 तक)

क्या आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?

अफसोस की बात है कि आबादी के हिसाब से लगभग बराबर होने के बावजूद महिलाओं की राजनैतिक भागेदारी नगण्य रकी गई है. सरकार की विकासवादी कोशिशों ने उनको हाशिये पर ही डाला है. हक़ीक़त यह है कि तमाम संवैधानिक और क़ानूनी उपायों के बावजूद आदिवासी महिलाएं विकासवादी योजनाओं में समानता और समान हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रही हैं.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 17

कमला एक आदिवासी महिला है जिसे उसके परिवार ने पढ़ाया लिखाया है. वह एक ऐसी औरत थी जो हमेशा ही गांव की दूसरी महिलाओं के हक़ में आवाज़ उठाती थी. इसलिए उसे गांव का सरपंच चुना गया. गांव के कुछ सवर्ण जाति के लोग उसका सहयोग नहीं करते और उसे सरपंच के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे. क्योंकि एक तो वो दलित है और ऊपर से महिला. गांव के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई महिला सरपंच बनी. अभी तक ग्राम पंचायत के चुनावों में सवर्ण जाति के लोग ही संरपच चुने जाते थे.

कमला ने सरकारी दफ़्तरों में आवाजाही शुरु की, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखने में महारत हासिल की और जागरूकता बढ़ायी. कमला ने गांव के विकास के लिए राशि हासिल करने में सफलता प्राप्त की. वह गांव के लोगों के साथ बातचीतत करती है. व्यक्तिगत तौर पर विरोधी पक्ष के नेताओं और सवर्ण जाति के लोगों के घर भी जाती है ताकि उनका सहयोग और सुझाव भी मिल पाएं और गांव के विकास के लिए और ज्यादा राशि प्राप्त की जा सके. उसने हरिजनों समेत सभी गांव वालों से अच्छे रिश्ते बनाये.

शूटिंग टिप्स:

1. एक सरपंच के रूप में काम करते हुए कमला के बीरोल लें. याद रखें कि उसके काम के बी रोल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि साक्षात्कार.
2. कमला यदि घर के काम करती है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसका भी पूरा बी रोल लें .दृश्यों को को सिक्वेंस में शूट करें.

3. अन्य पंचायत सदस्यों के साथ कमला की बातचीत को फ़िल्माना भी महत्वपूर्ण है.
4. साक्षात्कार के दौरान ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक महिला के तौर पर, सरपंच बनने तक की उसकी यात्रा कैसी रही. लेकिन हम इन सवालों पर भी उसकी राय और अनुभव जानना चाहेंगे:
   a. क्यों गांव / आदिवासी नेता हमेशा पुरुष रहे हैं?
   b. पति, परिवार के सदस्य और समुदाय, महिलाओं को नेता के रूप में देखने में क्यों दुविधा महसूस करते हैं.
   c. एक अच्छे नेता या एक अच्छा सरपंच के गुण क्या हैं?
   d. आप अन्य महिला सरपंच और वार्ड सदस्यों को क्या सन्देश देना चाहती है जो सक्रिय नहीं हैं और पुरुष सदस्य उनके काम करते है ?
5. आप एक ऐसी महिला पर भी वीडियो बना सकते हैं जो आरक्षित श्रेणी से सरपंच या वार्ड सदस्य बनी है- परंतु उसका पति ही प्रतिनिधि के रूप में उसका काम करता है. अगर प्रतिनविधि के तौर पर पति काम कर रहा है तो काम करते हुए उसका फ़िल्मांकन कीजिये. महिला को घर काम, खेती और अन्य दूसरे काम जो भी वो करती हो, करते हुए फ़िल्माए. साक्षात्कार के दौरान महिला से पूछें कि वो कब और कैसे सरपंच या वार्ड सदस्य बनी और उसने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया. अगर पति ही सब बताता रहे तो उसे रोकें नहीं, आप बस फ़िल्माते जाएं और उसकी बात चुपचाप सुनें. औरत से पूछो -आपको क्या लगता है आप अपने दम पर चीजों को संभालने में सक्षम कब हो जाएंगी. पति से भी यही सवाल पूछें. इसके अलावा उससे यह भी पूछें कि उसने पंचायत से संबंधित काम कैसे सीखें?
6. आप एक ऐसी महिला सरपंच या पंचायत वार्ड सदस्य पर भी वीडियो बना सकते हैं, जो अपने पति के किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करती है.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 7 | **सुंदरता का पैमाना** से होने वाला उत्पीड़न. “गोरी चिट्टी और लंबे बाल, बहुत मोटी या नाटी नहीं, पति से लंबी पत्नी? कभी नहीं!”

वीडियो स्टोरी आइडिया # 18

हर संस्कृति-समाज में सुंदरता का पैमाना अलग-अलग होता है. यह लोकप्रिय संस्कृति और रोजमर्रा की ज़िंदगी में शरीर के चित्रों आदि के तौर पर अभिव्यक्त होता है और आकांक्षा करता है कि सुंदरता की व्यापक परिभाषा भी इसी में फिट हो जाए. मुख्यधारा की बहस में ये परिभाषाएं ऊंची जाति / वर्ग के पुरुषों के नज़रिये को दर्शाती हैं.

उदाहरण के तौर पर आदर्श बहू की धारणा को ही लें. शादी के तमाम विज्ञापनों या रोजाना की बातचीत में आपने अक्सर सुना होगा कि आदर्श बहू वही है जो गोरी हो, लंबे बाल हों, भरे शरीर की हो लेकिन मोटी न हो, नाटी न हो और किसी भी सूरत में अपने पति से लंबी न हो. गोरापन बढ़ाने के तमाम उत्पाद गोरे रंग को सुंदरता के लोकप्रिय पैमाने की तरह स्थापित करते हैं और गोरा होने की चाहत पैदा करते हैं. इन उत्पादों की ज्यादा बिक्री यह दर्शाती है कि इनकी कितनी मांग है. ग्राहक इसके जाल में फंसता है और वो सुंदरता के इन बनावटी पैमानों में फिट होने का दबाव महसूस करता है.

शूटिंग टिप्स:

1. हमारे दिमाग में सुंदरता का क्या ढांचा है, इसे जानने के लिए आप विभिन्न लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं:
    a. 7 साल की लड़की और लड़का.
    b. 14-19 साल की लड़की और लड़का.
    c. 20-25 साल की लड़की और लड़का.
    d. 26-40 साल की उम्र के लोग.
    e. 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग.

2. आप इन लोगों से नीचे लिखे सवाल पूछ सकते हैं:
    a. सुंदर महिला का वर्णन कीजिए.
    b. आकर्षक पुरुष.
    c. क्या दुल्हन दूल्हे से लंबी हो सकती है?
    d. आदर्श पुरुष के गुण.

e. आदर्श महिला.

3. गोरा बनाने वाली क्रीम, अन्य सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधनों के होर्डिंग, सार्वजनिक स्थानों व अख़बारों में विज्ञापन, ऑटोरिक्शा या ट्रकों के पीछे टंगे विज्ञापन आदि के बीरोल लें. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पोस्टर, फोटो व उद्धरणों को शूट कीजिए जो सुंदरता के बारे में हो. सुंदरता के परंपरागत पैमानों को मज़बूत करती हों या तोड़ती हों.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 8 | **महिलाएं और सार्वजनिक स्थल**

वीडियो स्टोरी आइडिया # 19

हम बात करते हैं बराबर वेतन, उत्तराधिकार, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार आदि की. लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने में महिलाओं पर लगी पाबंदियों पर हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं. सार्वजनिक जगहों पर औरतें बहुत कम दिखती हैं या अक्सर ऐसी जगह जाने में घबराती हैं, खासतौर पर अंधेरा होने के बाद. ऐसा परिवार, हॉस्टल या पितृसत्तात्मक मानसिकता द्वारा लगाई गयी पाबंदियों की वज़ह से है. अगर कोई महिला देर रात बाहर है तो उसे चरित्रहीन, सहज उपलब्ध या वैश्या माना जाता है. अगर किसी महिला को रात में कहीं जाना बहुत ही जरूरी हो तो उसके साथ कोई पुरुष होना ही चाहिए.

क्या महिला या पुरुष के तौर पर आपने कभी ग़ौर किया है: अगर कोई महिला किसी ढाबे, चाय की दुकान या पार्क में घूमती है तो क्या ग़लत है? इसमें ऐसी क्या बुराई है, अगर अंधेरा होने के बाद लड़कियां बाज़ार तक जा आएं या पड़ोस में टहल लें? अगर कोई औरत ठेके से शराब ख़रीदती है या बार में बैठकर शराब पीती है- अकेले या दोस्तों के साथ या अपनी मर्ज़ी के किसी साथी के साथ, तो क्या ग़लत है? लड़कियां सड़क पर गुल्ली डंडा क्यों नहीं खेल सकतीं?

माता पिता डरते हैं कि समाज में उनकी बेटियों की छवि ख़राब हो जाएगी, ऊल-जुलूल अफ़वाहें उड़ेंगी, दाग़ लग जाएगा. हॉस्टल कहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और ओह! फिर नैतिकता के ठेकेदार जो कहते हैं, “ये हमारी संस्कृति में नहीं है.” हमें पूछना चाहिए, “क्या है जो हमारी संस्कृति में नहीं है और क्यों.”

“सुरक्षा” के नाम पर महिलाओं की आवाजाही पर पाबंदी थोपना. यानि अप्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षित रहने की ज़िम्मेदारी औरतों पर ही थोपना. मतलब ये कि अगर कोई औरत किसी प्रकार की यौन हिंसा का शिकार होती है तो दोष उस पर ही मढ़ा जाता है. औरतों को सावधानी बरतने के लिए और पुरुषों को उनकी सुरक्षा करने को कहा जाता है. औरतों को अक्सर पूंजी के तौर पर देखा जाता है जिसकी हर तरह से रक्षा करनी होती है.

तमाम घरों में शाम सात बजे के बाद महिलाओं को घर वापस बुलाना घरेलू कामकाज से भी जुड़ा है.

शूटिंग टिप्स: यह फ़िल्म दृश्यों (विजुअल्स) पर आधारित होगी. यानि ढेर सारे बीरोल. गांवों और कस्बों के सार्वजनिक स्थानों का विजुअल मोंटाज बना कर इस बात पर जोर देने की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों की बहुतायत व वर्चस्व है. इसके लिए आपको अलग-अलग वक़्त

पर अलग-अलग सार्वजनिक जगहों पर शूटिंग करने में समय लगाना होगा. उदाहरण जिन स्थानों पर आप शूट कर सकते हैंः

- चौक
- बस अड्डा
- बाज़ार
- ज़िला कलेक्टर कार्यालय, कचहरी
- ब्लॉक कार्यालय
- सरकारी अस्पताल
- अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध या व्यस्त मंदिर
- अपने क्षेत्र में पिकनिक स्पॉट

याद रखें कि ES माहौल शॉट और CU चेहरा शॉट भी ज़रूर लेने हैं.

आप देखेंगे कि कलेक्टर कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय आदि स्थानों पर कम महिलाएं है और हाट व मंदिरों के पास अधिक महिलाएं हैं, इन दृश्यों को शूट करें.

आप के अवलोकन के आधार पर जो सवाल उठते हैं, साक्षात्कार के दौरान महिलाओं और पुरुषों से पूछिए. जैसेः

- ब्लॉक कार्यालय में इतनी कम लेकिन मंदिर में ज्यादा महिलाएं क्यों है?
- दुनियादारी केवल पुरुषों की ही जिम्मेदारी है क्यों?
- क्या बदलने की जरूरत है कि महिलायें बिना किसी डर के बेख़ौफ़ होकर यहां-वहां, आ-जा सकें?

औरत के शरीर पर उसके पति का अधिकार है ऐसे जुमले काफी प्रचलित हैं. यह पितृसत्ता की ही एक तस्वीर है- यह पुरुषों को बताती है कि औरतें उसकी संपत्ति हैं- संपत्ति पर नियंत्रण रखना होता है- बताती है कि महिलाओं के शरीर और यौनिकता (सेक्सुअलिटी) पर नियंत्रण रखने का मर्दों को अधिकार है. ऐसे तमाम मामले हैं जहां पुरुष अपनी पत्नी के साथ सेक्स के लिए जबर्दस्ती करते हैं और उससे ऐसी सेक्सुअल हरकतें करने को कहते हैं जो उसे पसंद नहीं. ऐसे मामलों में पुरुषों का कहना है कि वह मना कैसे कर सकती है? उसके शरीर पर मेरा हक़ है. पितृसत्ता की यह तस्वीर भारतीय क़ानून में भी उजागर होती है जहां वैवाहिक बलात्कार को अपराध का दर्जा नहीं दिया गया है. यही नहीं, ज्यादातर मामलों में औरतों की कोई सुनवाई नहीं होती जैसे बच्चे चाहिए या नहीं, गर्भपात कराना है या नहीं, बच्चा अस्पताल में जनना चाहती हैं या घर में, परिवार नियोजन का क्या उपाय अपनाएं. पुरुषों को अपनी संगिनी को चुनने का अधिकार है लेकिन अगर औरत ऐसा करती है तो भौंहें तन जाती हैं.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 20
शारीरिक अखंडता

तीन साल पहले शालिनी को पहला बच्चा हुआ था और वह और बच्चा नहीं चाहती थी. जब उसने अपने पति कबीर और ससुराल वालों से यह बात कही तो वे आगबबूला हो गये. बार-बार विनती करने के बावजूद उसका पति कंडोम इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हुआ. वह इनसे नफ़रत करता था. पहले बच्चे के एक साल बाद ही शालिनी फिर गर्भवती हो गयी. वह गर्भपात कराना चाहती थी. लेकिन ससुराल वाले तैयार नहीं हुए. दूसरा बच्चा होने के बाद उसने अपने पति से कंडोम इस्तेमाल करने या नसबंदी कराने को कहा. लेकिन कबीर ने ज़बर्दस्ती कर शालिनी की नसबंदी करा दी जिसकी वज़ह से कई तरह की सेहत की दिक्कतें होने लगीं.

शूटिंग टिप्स:

- आपकी फ़िल्म में शालिनी और कबीर दोनों ही पात्र हो सकते हैं. आपको इसे अपनी बाध्यता बनाने की ज़रुरत नहीं है कि आप उसी पात्र को चुनेंगे जो अपने प्रजनन स्वास्थ्य के अनुभवों को सटीकता के साथ आपको बताए. आप किसी भी शादीशुदा जोड़े से साक्षात्कार कर सकते हैं कि पितृसत्ता कैसे गर्भनिरोधक के इस्तेमाल और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और इसके इर्द-गिर्द लिए जाने वाले निर्णयों पर प्रभाव डालती है.
- अगर दोनों में से कोई एक भी कैमरे पर बात करता है तो भी ठीक है. हालांकि, अपनी फ़िल्म में पुरुष और महिला दोनों के दृष्टिकोण कहानी को और भी पूर्णता प्रदान करेंगे.
- अगर इंटरव्यू के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं तो दोनों के इंटरव्यू अलग-अलग दिन कीजिए. उनसे अकेले में बात कीजिए. बातचीत के दौरान आप ये सवाल पूछ सकते हैं:
    - आपकी शादी को कितने दिन हो गये हैं?
    - आपके कितने बच्चे हैं? क्या आप और बच्चा पैदा करने की सोच रहे है?

- यदि आप अन्यथा न लें तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस तरह का गर्भनिरोधक इस्तेमाल करते हैं? क्या गर्भनिरोधक आपके इलाके में मिलता है? अगर हां तो कहां और कौन सा?
- क्या यह आपकी इच्छा है और क्या बीते सालों में इसमें बदलाव हुआ है? इसकी वज़ह क्या है? आप क्या पसंद करते हैं?
- क्या गर्भनिरोधक के इस्तेमाल से आप पर कोई असर पड़ा है?
- क्या आपने या आपकी पत्नी ने गर्भपात करवाया है? अगर हां तो ये किसकी इच्छा थी? और इस फैसले की वज़ह क्या थी?

वीडियो स्टोरी आइडिया # 21
क्या वैवाहिक बलात्कार अवैध होना चाहिए?

बलात्कार यौन उत्पीड़न का एक प्रकार है. जिसके अंतर्गत जबरन यौन संबंध बनाना या व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शरीर के किसी अन्य हिस्से में जबरन गुप्तांग या अन्य किसी वस्तु को डालना.

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत: एक व्यक्ति को "बलात्कार" का दोषी कहा जाएगा, अगर वोः

- अपना लिंग डालता है, किसी भी हद तक, किसी महिला की योनि में, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में या उसे बाध्य करना कि वो ऐसा करे, उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ.
- कोई भी वस्तु या शरीर का कोई अंग ज़रूरी नहीं कि लिंग, किसी भी हद तक योनि, मूत्रमार्ग या एक औरत के गुदा में डालना, या उसे बाध्य करना कि वो ऐसा करे, उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ.
- एक महिला के शरीर के किसी भी भाग के साथ चालाकीपूर्ण ढंग से इस मंशा के साथ संपर्क करना, छूना, हाथ लगाना ताकि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में डाल सके. या उसे बाध्य करना कि वो ऐसा करे, उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ.
- अपना मुंह महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाना या महिला को अपने साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने को बाध्य करना. नीचे दिए गए सात विवरणों में से किन्हीं भी परिस्थितियों के अंतर्गतः

पहलीः उसकी इच्छा के विरुद्ध.

दूसरीः उसकी सहमति के बिना.

तीसरीः उसकी सहमति के साथ, जब उसको या अन्य किसी व्यक्ति, जिसमें उसकी रूचि हो की मृत्यु या चोट/नुकसान का डर दिखाकर सहमति ली गई हो.

चौथीः उसकी सहमति के साथ, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है. पर वो मानती है कि ये वो दूसरा आदमी है जिसके साथ वो है, इसलिए सहमति दे दी है या खुद को उसके साथ विधिवत् शादीशुदा होने का विश्वास करती हो.

पांचवीः उसकी सहमति के साथ, ऐसी सहमति देते वक़्त वो सहमति की प्रकृति और परिणामों को समझने की हालत में नहीं थी. दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण, नशे के कारण, या तो खुद पुरुष द्वारा कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो या बेवकूफ बनाकर किसी अन्य के माध्यम से कोई मादक पदार्थ दिया गया हो,

छठी: उसकी सहमति के साथ या सहमति के बिना, जब उसकी उम्र अठारह वर्ष से कम है.

सातवीं: जब वह सहमति को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है.

व्याख्या 1 : इस खंड में "योनि" शब्द के अर्थ में भगोष्ठ भी शामिल है.

व्याख्या 2 : सहमति का अर्थ है- साफ-साफ समझ में आने वाली अनुमति. जब महिला शब्दों, इशारों, मौखिक या ग़ैर मौखिक आदि किसी तरीके से विशिष्ट यौन गतिविधि में भाग लेने की इच्छा ज़ाहिर करे.

एक औरत ने शारिरिक रूप से विरोध नहीं किया जब उसके साथ यौन संबंध बनाया गया, केवल इस बात के आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि यौन गतिविधि के लिए सहमति थी.

अपवाद:

1. एक चिकित्सा प्रक्रिया या चिकित्सा हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा.
2. **एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है. पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.**

दूसरे अपवाद को समझना बहुत ज़रुरी है. अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो तभी अपराध माना जाएगा जब वो 15 साल से कम आयु की है. **अगर पत्नी की आयु 15 साल से ज्यादा है तो पति द्वारा बलात्कार अपराध नहीं माना जाएगा.**

हालांकि, दिल्ली में निर्भया के केस के बाद 2013 में बलात्कार के क़ानूनों में संशोधन किया गया. लेकिन क़ानून के निर्माताओं को ये ज़रूरी नहीं लगा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाए.

आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये विशेष अपवाद क्यों जारी है?

इस बारे में लोगों की राय ले कर एक वीडियो बनाया जा सकता है.

शूटिंग टिप्स: साक्षात्कार के लिए 10 शादीशुदा पुरुषों और 10 महिलाओं से निम्न सवाल पूछें . प्रत्येक पात्र को MS आधा शॉट में जनमत (वॉक्स पॉप) शैली में शूट करें.

प्रश्न 1: क्या पति द्वारा अपनी पत्नी का बलात्कार करना एक अपराध है?

- अगर इसका जवाब है "हाँ" या "मैं नहीं जानता/जानती" मिलता है तो आप प्रश्न 2 और 4 पर जाएं.
- अगर जवाब मिलता है,"नहीं" तो प्रश्न 3 और 4 पर जाएं.

प्रश्न 2: पति द्वारा अपनी पत्नी का बलात्कार करना अपराध नहीं है. आपको क्यों लगता है कि यह एक अपराध नहीं हैं?

प्रश्न 3: आप सही कह रहे हैं, पति द्वारा अपनी पत्नी का बलात्कार करना एक अपराध नहीं है. आपको क्यों लगता है कि यह एक अपराध नहीं हैं?

प्रश्न 4: क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाया जाना चाहिए?

प्रत्येक व्यक्ति के साक्षात्कार के बाद उनके नाम और गांव के नाम पूछना याद रखें.

आप एक ही गांव में सभी साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से सभी 10 महिलाओं या सभी 10 पुरुषों के साक्षात्कार ना करें. सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न तरह के पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार कर रहे हैं. इसलिए गांव की अलग-अलग बस्तियों और समुदायों के पास जाएं.

Brolls: चूंकि यह एक जनमत(वॉक्स पॉप) शैली कि फ़िल्म है, इस लिए हर पात्र के बी रोल की ज़रूरत नहीं है. परन्तु गांव के सामान्य व मूलभूत बी रोल ज़रूर लें. अच्छे और स्थिर शॉट्स के साथ गांव को स्थापित कीजिए. गांव को स्थापित करने के लिए कम से कम 10 अलग-अलग चीजों का फ़िल्मांकन करें. यह भी याद रखें कि CU चेहरा शाट और MS आधा शाट भी महत्वपूर्ण हैं. इसलिए कृपया LS पूरा शॉट या ES वातावरण शॉट में पूरी फ़िल्म शूट ना करें .

नोट: यदि वैवाहिक बलात्कार का कोई मामला सामने आता है, तो इस गाइड के दूसरे भाग में वैवाहिक बलात्कार अनुभाग को देखें.

फ़िल्मिंग श्रेणी # 10 | **तोड़ धारणा, बदल नज़रिया**

वीडियो स्टोरी आइडिया # 22
टैक्सीवाली धनलक्ष्मी

कभी-कभी हम ऐसी औरतों से टकराते हैं जो ऐसे व्यवसाय कर रही होती हैं जिन पर पारंपरिक तौर पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है. ऐसी औरतें वीडियो के लिए ग़ज़ब की पात्र हो सकती हैं, जैसे कि मुंबई की धनलक्ष्मी.

"आदमी लोग मुझे स्टीयरिंग व्हील के पीछे देखकर चौंक जाते हैं. ज्यादातर का मानना है कि औरतों का काम चूल्हे और घर तक सीमित है," ये कहना है धनलक्ष्मी देवेंद्र का जो मुंबई की चंद महिला टैक्सी ड्राइवरों में से एक है. उसको अक्सर लोगों की बेअदबी वाली बात सुननी पड़ती है लेकिन धनलक्ष्मी को अपने काम में मज़ा आता है क्योंकि यह उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने की आज़ादी देता है. हालांकि चार साल पहले तक स्थितियां अलग थीं.

धनलक्ष्मी ने उस वक़्त अपनी तक़लीफ भरी शादी तोड़ने का फैसला लिया जब उसका बेटा 2 महीने का था.वह अपने मां-बाप के साथ रहने लगी और काम की तलाश में जुट गयी ताकि अपना और बच्चे का पालन कर सके. उसने पहले कभी कोई नौकरी नहीं की थी लेकिन वह काम पाने की लगातार कोशिश करती रही. उसे महिला टैक्सी सेवा प्रियदर्शिनी के बारे में जानकारी मिली जो अपने कर्मचारियों को ड्राइविंग के साथ साथ आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग देती है और परेशान करने वाले मुसाफ़िरों से निपटने के तरीके सिखाती है. उसने नौकरी का आवेदन किया और उसे चुन लिया गया. यह धनलक्ष्मी के जीवन में अहम मोड़ रहा.

आज उसका ज्यादातर वक़्त मुंबई की सड़कों पर पुरुष और महिला मुसाफ़िरों को उनकी मंज़िल तक पहुंचाने में बीतता है. वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती है और इस शहर में अपनी छत चाहती है. वह कहती है, "मैंने इस टैक्सी ड्राइवर की नौकरी से अपना सपना पूरा करने की ठानी है !"

शूटिंग टिप्स: सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने प्रमुख पात्र की पहचान करें, उसे अच्छी तरह से समझें और उसकी मंजूरी लें. वह तभी आपकी फ़िल्म का हिस्सा बनने को तैयार होगी जब वह आपको अच्छी तरह से जानती हो. आप पर भरोसा करती हो और फ़िल्म बनाने के आपके मक़सद पर भरोसा हो. इसकी शूटिंग के लिए आपको उसके साथ कम से कम दो दिन गुजारने होंगे. उसके दिन भर के काम के बारे में खूब शूट कीजिए: घर में काम करने के, काम के लिए तैयार होने के, फोन पर ग्राहकों से बात करने के, टैक्सी तलाने के (अंदर और बाहर से शॉट). टैक्सी में मुसाफ़िरों के इंतज़ार के दौरान आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं. आप पूछ सकते हैं कि उसने अपने माता-पिता को इस ट्रेनिंग के बारे में कैसे समझाया, इस बाधा को पार करने में उसे किन

चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने क्या किया? सबसे अहम है उसकी लगन और प्रेरणा. एक पुरुष के मुक़ाबले एक महिला टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी कैसे अलग है? यह जानने की कोशिश कीजिए कि इसे हासिल करने के लिए उसे कितना 'मर्द' बनना पड़ा यानी क्या उसे बाल कटवाने पड़े, पैंट पहननी पड़ी या कोई ऐसा काम जिससे वह पुरुष लगे? उससे पूछिए कि ऐसे बदलाव में इतने साल क्यों लगे और सोलापुर, या राजकोट या शिमला या फिर श्रीनगर जैसे छोटे शहरों में महिला टैक्सी ड्राइवरों के आने में कितने साल लगेंगे? उससे पूछिए कि ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिनमें फिलहाल पुरुषों का बोलबाला है लेकिन महिलाएं भी अच्छी तरह से कर सकती हैं.

वीडियो स्टोरी आइडिया # 23
भेदभाव पर प्रहार

कैलाश चंद्र एक किसान है और उसकी तीन बेटियां हैं. आमतौर पर जिन मां-बाप के पहली एक या दो लड़कियां होती हैं वे तब तक बच्चे पैदा करते हैं जब तक बेटा न हो जाए. शायद वे सोचते हैं कि दो (या तीन या चार और कभी कभी पांच) बेटियों की शादी में हुए ख़र्च को बेटा दहेज के तौर पर वापस लाएगा.

लेकिन कैलाश की सोच अलग है. उसके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी बेटी सविता काफी अक़्लमंद है. उसने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की है और अब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में दाखिले के लिए कैलाश ने उसकी एक साल की कोचिंग शुरू करवा दी है. यह कोचिंग महंगी है लेकिन कैलाश का मानना है कि “बाद में, अपने मां-बाप पर आश्रित किसी बेवकूफ लड़के पर दहेज के तौर पर ख़र्च करने की बजाय, बेहतर है कि ये पैसा अभी बेटी की पढाई पर ख़र्च किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके.”

शूटिंग टिप्स: यह कहानी एक प्रगतिशील सोच को दर्शाती है जो आमतौर पर नहीं दिखती. अगर आपको ऐसी किसी कहानी के बारे में पता है तो जरूर फ़िल्म बनानी चाहिए क्योंकि यही असली नायक हैं, हमें इनको तवज़्ज़ो देनी चाहिए. कैलाश या उसके परिवार की मंजूरी लेना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वह खुद अपनी कहानी बताने में गर्व महसूस करेंगे. लेकिन इसमें अहम यह है कि पिता और बेटी और मां और बेटी के बीच के संबंध और क्षणों को कैमेरा में दर्ज किया जाए. साथ में तीनों बहनों की आपसी बातचीत भी होनी चाहिए. हालांकि आपका फोकस कैलाश और सविता पर ही होगा. कैलाश से इस बारे में पूछिए कि कुछ मां-बाप बेटे की चाहत क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों है कि बेटियों की बजाय बेटों के होने को तरज़ीह दी जाती है? बेटे द्वारा किये जाने वाले कर्मकांडों को बेटी क्यों नहीं कर सकती?

ध्यान रहे कि आपका मुख्य पात्र कैलाश किसान है इसलिए खेत में काम करते उसके शॉट जरूरी हैं. और ये सीक्वेंस में हों, केवल एक शॉट नहीं. सविता के पढ़ते हुए और इम्तिहान की तैयारी करने के शॉट भी हों. साइकिल पर स्कूल जाते हुए सविता के शॉट काफी अहम हैं. इस शॉट से आभास होता है कि वह स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी है. उससे पूछिए कि लड़कियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं? जो लोग सोचते हैं कि औरतों को घर में रह कर परिवार की देखभाल करनी चाहिए, उनके बारे में सविता क्या सोचती है? एक औरत के लिए करियर क्यों महत्वपूर्ण है? क्या कोई ऐसी चीज है जो वह नहीं कर सकती लेकिन लड़के कर सकते हैं?

भाग दो- लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग

महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा की रिपोर्टिंग करते हुए निम्नलिखित नियमों (प्रोटोकॉल) का पालन करना होगाः-

जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके समुदाय में महिला हिंसा की घटना हुई है, तो तुरंत पीड़िता और उसके परिवार से मिलने का उपयुक्त समय तय करें. ध्यान रहे कि पीड़िता और उसका परिवार सदमे से गुजर रहा है. शूटिंग करते वक़्त और मदद के लिए उठाए जाने वाले क़दमों में पीड़ित और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए .

सूचित मंज़ूरी

- यह पक्का कर लें कि इंटरव्यू से पहले आपने पूरी जानकारी देकर पीड़िता की मंजूरी ले ली है. अलग शब्दों में ये कहा जा सकता है आप पीड़िता की मंज़ूरी के बिना उसकी कहानी को शूट नहीं करेंगी. आपकी वीडियो रिपोर्ट के परिणाम की बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पीड़ित और उसके परिवार को जानकारी देनी होंगी.
- आप वीडियो के अच्छे और ख़राब दोनों पहलुओं से पीड़िता और उसके परिवार को अवगत कराएं.
- आपको बताना होगा कि वीडियो व्यापक तौर पर वितरित किया जाएगा. हो सकता है कि हमलावर भी इस वीडियो को देखें. पीड़िता की सुरक्षा को भी ख़तरा हो सकता है.
- पीड़िता के ये समझाएं कि उसका बोलना और वीडियो शूट करना क्यों महत्वपूर्ण है.
- हिंसा का कोई ऐसा केस जिसमें मौत हो गई हो, रिपोर्ट करते हुए पीड़िता के परिवार की मंज़ूरी ज़रूर लें.
- अगर पीड़ित नाबालिग है तो बच्ची के माता-पिता या अभिभावक की मंजूरी ज़रूरी है. केवल नाबालिग की सहमति काफी नहीं है. ध्यान रहे कि माता-पिता या अभिभावक की मंजूरी के बग़ैर किसी नाबालिग को (किसी भी स्थिति में) शूट करना Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के तहत ग़ैरक़ानूनी है.

जीविता और उसके परिवार की पहचान

भारतीय दंड संहिता के अनुसार रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करना दंडनीय अपराध है. आपको 2 साल की क़ैद (बिना ज़ुर्माना) भी हो सकती है. पहचान उजागर करने के लिए क़ानूनी प्रावधान इस प्रकार हैंः-

1. पुलिस अधिकारी जो मामले की जांच कर रहा है नेक नीयत से ऐसा करने को अधिकृत हैं.
2. जीविता लिखित रूप से इसकी मंज़ूरी दे.
3. जब जीविता के निकटतम परिजन इसकी लिखित अनुमति दें.

- हालांकि क़ानून पुलिस जांच अधिकारी को नेक नीयत के साथ पहचान उजागर की अनुमति देता है. लेकिन आप ऐसा तब तक **नहीं** कर सकते जब तक आपके पास जीविता या उसके परिवार की लिखित मंज़ूरी नहीं है.
- अगर जीविता अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है तो आप ये करें- अपने किसी दोस्त जो साथ हो या परिवार के किसी सदस्य आदि का प्रकाश के विपरित या पीछे से (जिसमें जीविता का चेहरा ना दिखे) एक वीडियो क्लिप शूट करें और जीविता व उसके परिवार को दिखाएं ताकि उन्हें तसल्ली हो.
- चेहरा दिखाना है या नहीं, या बात करनी है या नहीं, इसका फैसला पीड़िता ही करेगी.
- अगर जीविता नाबालिग है तो हम नाम और चेहरा उजागर नहीं करेंगे बेशक उसके परिवार व अभिभावकों की मंज़ूरी हो.

यौन हिंसा

पृष्ठभूमि: किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति के बिना उसके साथ यौन आचरण करना यौन हिंसा है, इसके तहत है- ऐसी यौन गतिविधि में शामिल करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना, जोर-ज़बरदस्ती करना, अवांछित/अनचाहे यौनिक फायदे उठाना.

महिलाओं के ख़िलाफ यौन हिंसा और ख़ासतौर पर बलात्कार का इतिहास बड़ा पुराना है. देश का चौथा सबसे आम अपराध बलात्कार है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2013 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए. इनमे से 24,470 यानी क़रीब 98 फीसदी मामलों में आरोपी जान-पहचान वाले व क़रीबी थे.

भारत में बलात्कार (वैवाहिक रेप को छोड़कर) ग़ैर जमानती अपराध है. अगर किसी महिला के साथ उसका पति रेप करता है तो वह केवल घरेलू हिंसा कानून(2005) के तहत कार्रवाई कर सकती है, जो सिर्फ पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराता है, लेकिन अपराधी को सज़ा की कोई गुंज़ाइश नहीं है.

इतिहास और परंपराओ के कारण क़ानून को लागू करना आज भी मुश्किल है. गांवों और दूरदराज़ के इलाकों में आज भी जेंडर को लेकर पितृसत्तात्मक सोच का बोलबोला है और सबक सिखाने या सज़ा के तौर पर यौन हिंसा जायज मानी जाती है. पुलिस की असंवेदनशीलता भी पितृसत्तात्मक सोच को आगे बढ़ाती है. वे अक्सर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं और समाज बलात्कार के लिए पीड़ित को ही दोषी क़रार देता है.

महिलाओं के ख़िलाफ यौन हिंसा, ग्रामीण इलाकों में बदला लेने और दुश्मनी निकालने के लिए और जातिगत अत्याचारों के लिए, बलात्कार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. महिलाओं को परिवार व समाज की “इज़्ज़त” और संपत्ति के तौर पर देखा जाता है.

यौन हिंसा पर क़ानून क्या है?

दिसंबर 2012, दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ बर्बर गैंगरेप की घटना के बाद, भारतीय दंड संहिता में (Criminal Law Amendment Act, 2013 के तहत) संशोधन किया गया और यौन हिंसा व यौन उत्पीड़न जोकि दंडनीय अपराध है, की नई परिभाषा दी गयी. क़ानून के मुताबिक यौन हिंसा की परिभाषाएं इस प्रकार हैंः

हमला (धारा 354B) : अपराधिक बल का इस्तेमाल, या महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करना.

घूरना (धारा 354C) : किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध और उसकी मंजूरी के बिना उसके निजी पलों को देखना, उसकी तस्वीर खींचना और लोगों में बांटना.

पीछा करना (धारा 354D) : पीछा करना या किसी महिला के स्पष्ट तौर पर मना करने के बावजूद उससे बार-बार संपर्क करना.

अवैध तौर पर बेचना (धारा 370): भय दिखाकर, बल प्रयोग से, धोखे से, सत्ता के दुरुपयोग व पैसे के लेन-देन के ज़रिये किसी व्यक्ति को शोषण के मक़सद से भर्ती करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रखना, अदला-बदली करना.

बलात्कार (धारा 375) : महिला की सहमति के बगैर महिला की योनि में लिंग या अन्य कोई वस्तु डालना, या अपने साथ या किसी और के साथ ऐसा करने के लिए जबरन मज़बूर करना, महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को इस तरह इस्तेमाल करना ताकि योनि या गुदा में प्रवेश हो या शरीर के किसी भी अन्य हिस्से का प्रवेश कराना, महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाना या महिला से जबरन अपने साथ या किसी और के साथ ऐसा कराने को मज़बूर करना.

सामूहिक बलात्कार (धारा 376)

पीड़ित के अधिकारः एफआईआर (FIR) दर्ज करना और पुलिस के लिए नियम व प्रोटोकॉलः

- एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट) पीड़ित के हिसाब से अपराध का विवरण होती है. कोई जरूरी नहीं कि पीड़ित ही एफआईआर दर्ज कराए. वारदात का गवाह या कोई जानकार जिसे घटना की भरपूर जानकारी हो, पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज करा सकता है. लेकिन उन्हे ऐसा तभी करना चाहिए जब पीड़ित की पूरी सहमति हो और वह बाद में होने वाली जांच में मदद के लिए भी तैयार हो. याद रखे जांच शुरू करने के लिए यह पहला दस्तावेज़ होता है जो पुलिस को तैयार करना होता है.
- यूं तो यौन हिंसा की शिकार हर महिला को रिपोर्ट कराने का हक़ है लेकिन वह ऐसा करना चाहती है या नहीं, यह उसकी मर्ज़ी है. पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है. जो पुलिसकर्मी एफआइआर लिखने से मना करता है वो पीड़ित के अधिकार का उल्लंघन कर रहा होता है. एफआईआर न लिखने के आरोप में पुलिसकर्मी को दो साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है.
- अगर कोई पुलिसवाला या थाना एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप उच्च अधिकारियों (जैसे एसपी या डीसीपी) से अपील कर सकते हैं. अगर वे भी मना करते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास जाइए (जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट).
- एफआईआर किसी भी थाने में लिखी जा सकती है और इसे बाद में संबंधित थाने को भेजी जा सकती है.

- एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को थाने में मौजूद रहना जरूरी नहीं है. वह फोन पर या ई-मेल पर भी एफआईआर दर्ज करा सकती है.
- अगर पीड़ित मानसिक या शारीरिक तौर पर (आंशिक या पूर्णतः) अक्षम है, तो पुलिस अधिकारी उस महिला के घर या महिला की सुविधानुसार ऐसी जगह जाएगा जहां शिकायत लिखी जा सके. अगर मामला बलात्कार का है तो भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी.
- यौन शोषण, छिप कर देखना, पीछा करना, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों मे रिपोर्ट केवल महिला पुलिस अफसर द्वारा ही दर्ज की जाएगी. एक बार रिपोर्ट लिखे जाने के बाद, लिखने वाले अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि जो लिखा गया है वह उसे पढ़ कर सुनाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जैसा बताया गया, वैसा ही लिखा गया. अगर लिखने वाला पढ़ कर नहीं सुनाता है तो उसे पढ़ने को कहिए. ये शिकायतकर्ता का अधिकार है.
- किसी तरह का बदलाव कराने से हिचकिए नहीं. यह सुनिश्चित कीजिए कि रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट और सटीक हो.
- पीड़ित को हमेशा रिपोर्ट के तथ्यों आदि को दोबारा ध्यान से देखना चाहिए कि ठीक है या नहीं और अपनी प्रति (कॉपी) लेनी चाहिए.
- एफआईआर की प्रति (कॉपी) मिलने के 24 घंटे के अंदर जांच अधिकारी पीड़ित को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा ताकि उसका बयान लिया जा सके.
- हर पीड़ित को अदालत की ओर से नियुक्त वकील का हक़ है.
- जांच की स्थिति जानने के लिए पीडित, जांच अधिकारी से संपर्क कर सकती है.
- पुलिस मीडिया के लिए या जनता के लिए जीविता की पहचान का खुलासा नहीं करेगा.
- एक औरत या एक बच्चे को एक पुलिस थाने में रात भर हिरासत में नहीं किया जाएगा.
- जीविता को अगर एक अनुवादक की जरूरत है उपलब्ध कराया जाएगा.
- सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर जीविता को चिकित्सा परीक्षण और देखभाल के लिए नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा.
- जीविता को कोई अन्य विशेष आवश्यकता है, तो मुहैया की जाएगी.

जीविता अगर नाबालिग है तो:

- बयान उस जगह ले जहाँ नाबालिग रहता है या जहां नाबालिग सहज महसूस करता है .
- बयान दर्ज करने वाला अधिकारी उप निरीक्षक(सब इंस्पेक्टर) के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगी और तरज़ीह के तौर पर एक महिला अधिकारी होनी चाहिए.
- पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा.
- बच्चा किसी भी तरह से आरोपी के संपर्क में नहीं आएगा.
- एक व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है, उपस्थित रहेगा.

- मानसिक या शारीरिक रूप से (आंशिक या पूर्णतः) विकलांग बच्चे कि लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है. संभव हो तो बयान को ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाए.
- यदि आवश्यक हो, पुलिस आपातकालीन आश्रय के लिए निकटतम आश्रय घर में नाबालिग को लेकर जाए और बाल कल्याण समिति(सी.डब्ल्यू.सी) के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
- पुलिस 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय में बाल यौन अपराधों के सभी मामलों पर रिपोर्ट करेगी.

चिकित्सा परीक्षण

- मेडिकल जांच केवल जीविता की सहमति से ही हो सकती है.
- एक व्यक्ति जिस पर जीविता को भरोसा हो चिकित्सा परीक्षण के समय उपस्थित हो.
- जीविता का चिकित्सीय परिक्षण केवल एक महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा.
- पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि अस्पताल से नमूने एकत्र कर जल्द से जल्द फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे जाएं.
- चिकित्सक जीविता के घाव, शारीरिक और जननांग चोटों और एसटीडी और एचआईवी के लिए इलाज करेगी. वह जीविता के साथ संभावित गर्भावस्था और आपात गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करेगी.
- सभी अस्पतालों में जीविता को मुफ़्त प्राथमिक उपचार देना और क़ानून के मुताबिक पुलिस को घटना की तुरंत सूचना देना अनिवार्य है.
- 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार का निर्धारण करने के लिए दो उंगली के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत कोई भी चिकित्सा परीक्षण ग़ैर आक्रामक तरीके से होना है. अगर जीविता सहमति देती है तो केवल पंजीकृत चिकित्सक ही परिक्षण कर सकता है.
- जीविता को मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य परामर्श के लिए भेजा जा सकता है.
- एक अस्पताल द्वारा जीविता का उपचार ना करना एक दंडनीय अपराध है. जिसके लिए कारावास(जिसकी अवधि एक साल तक बढ सकती है) या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

रिपोर्टिंग और साक्षात्कार टिप्स.

- जब आप के सामने यौन हिंसा का मामला आता है, एक जीवित के अधिकारों को जानें, पुलिस और डॉक्टरों के प्रोटोकॉल और एफआईआर दर्ज़ करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी हासिल करें. ये जीविता के मदद और सहायता हासिल करने के अनुभव के दस्तावेज़ीकरण और जांच-परख और रिपोर्ट करने में आपकी मदद करेगा. पुलिस या चिकित्सकों के द्वारा उल्लंघन की बारीकियों पर रिपोर्ट करने में मदद करेगा. जीविता से मिलने से पहले ऊपर के भाग को पूरा और ध्यान से पढ़ें.
- पहले आप, **बिना कैमेरा निकाले** जीविता से बात करें.
- **फ़िल्मांकन से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सूचित सहमती ले ली है.**

- **अगर जीविता वयस्क है, तो उसकी मंज़ूरी के बिना वीडियो में उसका नाम और पहचान उजागर ना करें. अगर पीड़िता की मौत हो गई है तो इस मामले में परिवार की सहमति आवश्यक है.**
- जीविता की आयु पता करें.
- जीविता गर नाबालिग है तो उसका/उसकी पहचान- नाम और चेहरे का खुलासा नहीं किया जा सकता. आपको इस तरीके से शूट करना है कि चेहरा उजागर ना हो.
- सुनिश्चित करें कि जीविता या परिवार के सदस्य का जब आप साक्षात्कार कर रहे हों, तब वे आराम से बैठे हों.
- यौन हिंसा की घटना के विवरण को बार-बार दोहराने के लिए ना कहें. अगर जीविता खुद को संभाल नहीं पा रही है और भावनात्मक आदि तौर पर यातना से गुजरती है तो घटना की बारीकियों को बताने का दबाव ना बनाएं. बातचीत में, आप बाद में दोबारा इन्हीं जानकारियों पर आ सकते हैं, जब वो बात करने की स्थिति में हो. या आप किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी लें जिसे मामले का पूरा पता हो और पी टू सी में शामिल करें.

चेकलिस्ट: निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप जीविता के साथ बात करें. आदर्श रूप में, एक वायस ओवर सिर्फ इन जानकारियों के साथ रिकॉर्ड करना चाहिएः

- पता करें कि एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? अगर हां, तो पुलिस के व्यवहार के बारे में पीड़ित से जरूर पूछिए. क्या उन्होंने सहयोग किया? क्या वे संवेदनशील थे? **(पुलिस के प्रोटोकॉल और एफआईआर वाले हिस्से को पढ़ें)**
- क्या मेडिकल जांच हुई? क्या जांच से पहले आपकी सहमति ली गयी?
- क्या डॉक्टर संवेदनशील थे? क्या उन्होंने कोई आक्रामक सवाल पूछा था, उदाहरण के लिए: क्या उन्होंने उसकी यौन पृष्ठभूमि पर सवाल खड़ा किया?
- मेडिकल जाँच कैसे हुई, यह जांचने के लिए कि क्या "दो उंगली का टेस्ट" (टू फिंगर टेस्ट) हुआ, आप मेडिको-लीगल जाँच की कॉपी लेकर किसी डॉक्टर से पढ़वा सकते हैं. अगर आपको मेडिको-लीगल जाँच पढवाने में मुश्किल हो रही हो तो आप गोआ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं.

याद रखें कि - उल्लंघन को साबित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है (ऊपर के भाग को देखें). केवल घटना की विस्तृत जानकारी देना काफी नहीं. आपको बताना होगा कि पीड़ित के अधिकारों का, कानूनी प्रक्रिया का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है. पुलिस ने किस तरह नियमों (प्रोटोकॉल) का उल्लंघन किया.

वैवाहिक बलात्कार

पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत में तक़रीबन 75 फीसदी शादीशुदा महिलाएं वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती हैं. बावजूद इसके, देश में ऐसा कोई फौजदारी(क्रिमिनल) क़ानून नही है जो शादी के बाद पति के जबरन संभोग को मना कर सके और ऐसा करने वाले को सज़ा दिलवा सके. इसका मतलब यह हुआ कि भारत में महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार जैसा मूलभूत अधिकार नहीं है.

पति की यौन हिंसा के ख़िलाफ क़ानूनी राहत सिर्फ घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत ही मिल सकती है. यह दीवानी (सिविल) क़ानून है. जिसमें पीड़ित को संरक्षण तो मिलता है लेकिन अपराधी को सज़ा मिलने की कोई गुंज़ाइश नहीं है. इसीलिए वैवाहिक बलात्कार के मामलों के लिए फौजदारी क़ानून की ज़रूरत है.

अगर किसी व्यक्ति की पत्नी की उम्र 15 साल से कम है तो वह उसके साथ संभोग करने पर बलात्कार का आरोपी हो सकता है. हालांकि इस प्रावधान में अपने-आप में ही विरोधाभास है, क्योंकि लड़कियों की शादी की क़ानूनन उम्र 18 साल है.

वैवाहिक रेप के मामलों की रिपोर्टिंग या इंटरव्यू करते वक़्त आप इस भाग के शुरुआत में दिए गए प्रोटोकॉल का पालन करेंगे. इस मामले में भी इंटरव्यू टिप्स और रिपोर्टिंग चेकलिस्ट यौन हिंसा वाले सेक्शन वाली ही होगी.

ऐसे मामलों में आपको यह बताने का मौका मिलता है कि वैवाहिक बलात्कार के मामलो में फौजदारी क़ानून की ज़रूरत क्यों है.

क़ानूनी टिप्सः जब तक वैवाहिक बलात्कार पर कोई फौजदारी क़ानून नहीं है, घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के अंतर्गत केस दर्ज़ करवा सकते हैं. हालांकि यह दीवानी (सिविल) क़ानून है जिसमें अपराधी को सज़ा मिलने की कोई गुंज़ाइश नहीं है.

घरेलू हिंसा

वर्ष 2003 में देश में घरेलू हिंसा के 50,703 मामले दर्ज हुए, जो 2013 तक बढ़कर 1,18,866 हो गये. यानी 10 साल में 134% की बढ़ौतरी.

भारत में घरेलू हिंसा कोई अनूठी बात नहीं है. यह दुनिया भर में होती है लेकिन भारत बाकी देशों से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां अब भी ऐसे मामलों पर ख़ामोश रहने की संस्कृति है.

एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 54% पुरुष और 51% महिलाएं मानती है कि अगर महिला अपने ससुराल वालों की बेइज़्ज़ती करे, बच्चों और घर की देखभाल न करे या खाने में नमक कम या ज्यादा होने जैसी मामूली सी बात पर, पति का पत्नी पर हाथ उठाना ठीक है.

2005 में भारत सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कर दिया. क़ानून में मौखिक, शारीरिक, यौन या आर्थिक बदसलूकी शामिल हैं - चाहे वास्तविक हो या धमकी दी गई हो. इसका मतलब यह है कि निम्न में से सभी को घरेलू हिंसा के रूप में माना गया है :

- मारना, घूंसा, थप्पड़, घोंटना या धक्के मारना.
- व्यक्तिगत संपत्ति का विनाश करना.
- महिला को मित्रों और परिवार से मिलने से रोकना.
- निजी या सार्वजनिक तौर पर अपमान करना.
- ज़बरदस्ती वित्त पर नियंत्रण.
- चरम ईर्ष्या दिखाना या बेवफाई का आरोप लगाना.
- सेक्स के लिए मजबूर करना.
- दहेज उत्पीड़न.

घरेलू हिंसा पर एक मामला दायर करना

(स्रोत: http://www.bellbajao.org/home/resources/the-law-pwdva/)

उपरोक्त में से कोई एक घटना भी होती है तो, खुद महिला या उसकी ओर से कोई भी, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी के पास जाकर प्रत्यक्ष सूचना रिपोर्ट (डीआईआर) दर्ज करा सकती हैं:

संरक्षण अधिकारी (पी.ओ.) जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है. संरक्षण अधिकारी डी.आई.आर. दर्ज कर मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रस्तुत करती है और सुनिश्चित करती है कि अदालत द्वारा पारित आदेश लागू हो.
एक सेवा प्रदाता- एक स्वैच्छिक संगठन जो राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हो. ये एजेंसी संरक्षण अधिकारी (पीओ) के पास डीआईआर दाखिल करने में मदद करती है, क़ानूनी सहायता प्रदान करती है, चिकित्सा देखभाल, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करती हैं.
पुलिस- भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत पुलिस एक आपराधिक मामला दर्ज कर सकती हैं. साथ ही अनुरोध पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत डी.आई.आर. दर्ज करके एक प्रति मजिस्ट्रेट को भेजेगी.
मजिस्ट्रेट- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकती है और डीआइआर दाखिल कर सकती है. अगर महिला का केस पहले से ही विचाराधीन है, तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक "अंतरिम आवेदन" भरकर लंबित कार्यवाही की मांग कर सकती है.

ध्यान रहे कि घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग या इंटरव्यू करते वक़्त वही नियम (प्रोटोकॉल) होगा जो यौन हिंसा के लिए है

इंटरव्यू टिप्स:

- जीविता के साथ साक्षात्कार के दौरान बातचीत करें न कि कैमरे के सामने बिठाकर एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दें. यह सुनिश्चित करने के लिए, ज़रुरी है कि कम से कम एक दिन आप उसके साथ बिताएं. ताकि कैमेरा पर आने से पहले उसके साथ आपका एक संबंध बन जाए और बातचीत सहज हो जाए.
- आप इस दिन का उपयोग अच्छे बी-रोल लेने के लिए कर सकते है.
- हालांकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीविता ने किस प्रकार की हिंसा का सामना किया लेकिन अपने आपको इसी तक सीमित ना करें.
- बातचीत में समझने की कोशिश करें कि वो वो क्या चीज़ थी जिसकी वज़ह से वो हिंसा को ना नहीं कह पाई, शादी को छोड़ नहीं पाई. क्या वह आर्थिक रूप से पति पर निर्भर थी? क्या उसे डर था कि अगर वो हिंसा का विरोध करती है तो समाज उसे ही दोष देगा?
- एफआइआर दर्ज़ करानी है या नहीं, पूछें उसका चुनाव क्या हैं. फिर पूछें किस बात से मज़बूर होकर आपने रिपोर्ट दर्ज़ कराई? और अगर नहीं तो समझने की कोशिश करें कि क्यों नहीं?

रिपोर्टिंग चेकलिस्ट:

- यह पता कीजिए कि पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया है या नहीं? पुलिस का रुख़ कैसा था?
- क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया? अगर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है तो मामले में आगे क्या हो रहा है?

ऐसिड हमला

पृष्ठभूमि: भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत किसी पर ऐसिड से हमला करना अपराध है. इसकी सज़ा कम से कम 10 साल की जेल है. जुर्माने के साथ-साथ, सजा को उम्रक़ैद में भी बदला जा सकता है. जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर 2013 में यौन उत्पीड़न के क़ानून में संशोधन के साथ साथ यह क़ानून भी बनाया गया.

ऐसिड हमला पीड़ित के मुआवज़े, इलाज और इसी के साथ-साथ ऐसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

फिर भी **2014 में पूरे भारत में ऐसिड अटैक के 309 मामले दर्ज हुए हैं.**

ऐसिड हमले के ज्यादातर मामलों में हमला करने वाले जानकार और वे लोग होते हैं जिनकी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिशों को पीड़ित ख़ारिज़ कर चुकी होती है. ऐसिड हमले से गंभीर घाव होते हैं और स्थायी अपंगता हो जाती है. पीड़ित के लिए ज़िंदगी बोझ सी बन जाती है. चेहरा बिगड़ जाने की वज़ह से नौकरी पर भी नहीं रखा जाता.

ऐसिड हमला पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसिड हमले की पीड़ित को इलाज की पूरी सुविधा (इलाज, बेड, खाना, पानी और दवाएं) मुफ़्त मुहैया करायी जाएगी. कोई अस्पताल ऐसिड हमला पीड़ित के इलाज से इनकार नहीं कर सकता ये कह कर कि उसके यहां सुविधा नहीं है. अस्पताल में सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए और सेहत स्थिर होने पर पीड़ित को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है जहां सुविधाएं हों.
- ऐसिड हमला पीड़ित का इलाज करने से इनकार करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ कार्रवाई हो सकती है.
- 2014 में लक्ष्मी के केस में भारत के सर्वोच्च न्यालय ने ये अनिवार्य किया है कि एसिड हमला जीविता को 15 दिनों के भीतर 3 लाख रुपये की एक न्यूनतम राशि मुआवज़े के तौर पर दी जाएगी.
- दिसंबर 2015 में, तेज़ाब हमले के मामले में परिवर्तन केन्द्र द्वारा दायर एक याचिका में चंचल और सोनम पासवान दो बहनों के मामले में मुआवज़ा राशि 10 लाख तक बढ़ाई गई है. अदालत ने कहा, " लक्ष्मी के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया आज्ञापत्र कहीं न कही किसी एसिड हमले कि पीड़ित के लिए अधिक मुआवज़ा देने से रोक रही है, ख़ासकर जब पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें हों. जिसे इस

अदालत द्वारा ध्यान में रखने की ज़रूरत है. इन विशेष तथ्यों के आधार पर, ये अदालत 3,00,000 रुपये से अधिक मुआवज़ा प्रदान कर सकती हैं."

- एसिड हमलों के मामलों में मुआवज़ा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी की जाता है.
- सबसे पहले जिस अस्पताल में ऐसिड हमले की पीड़ित का इलाज हो वह एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि अमुक महिला या लड़की ऐसिड हमले की पीड़ित है. अपने इलाज, प्लास्टिक सर्जरी और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मदद के लिए बनायी गयी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पीड़ित इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकती है.

ऐसिड हमले रोकने के लिए ऐसिड की बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशः

- ऐसिड की खुली बिक्री पर पूरी रोक, दुकानदार को ख़रीदारों और खरीदी/बेची गयी मात्रा का रोज का रिकॉर्ड रखना होगा.
- ऐसिड उसी व्यक्ति को बेचा जाएगा जो अपना पहचान पत्र, निवास स्थान का पता, टेलीफोन नंबर प्रस्तुत करेगा और ऐसिड ख़रीदने का क्या मक़सद है ये ब्यौरा देगा.
- ऐसिड बेचने वाला दुकानदार ऐसिड के स्टॉक की 15 दिन के भीतर इलाके के एसडीएम को जानकारी देगा.
- अगर ऐसिड का अघोषित स्टॉक पकड़ा जाता है तो एसडीएम को सारा माल ज़ब्त करने और दुकानदार पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है.
- खुदरा (रीटेल) में बिकने वाला ऐसिड इतना हलका होना चाहिए कि उसका मानव शरीर पर कोई हानिकारक असर न हो.
- 18 साल से कम उम्र के लोगों को ऐसिड नहीं बेचा जाएगा.
- इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पर संबंधित एसडीएम 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है.

मामले में हस्तक्षेप के लिए: पहले यह जांच लीजिए कि इन ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों के दो खंडों में से किस-किसका उल्लघंन किया गया है. **इन्हीं तथ्यों/जानकारियों के आधार पर एक वायस ओवर रिकॉर्ड करें.**

इंटरव्यू टिप्स: निम्नलिखित बिंदु ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं जब आप पीड़ित से बात कर रहे हों- चाहे आप इंटरव्यू शूट कर रहे हों, लिख रहे हों या वायस ओवर लिख रहे हों.

शूटिंग/इंटरव्यू के टिप्स:

- रिपोर्टिंग और इंटरव्यू के लिए उन्ही प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा जो लिंग के आधरित हिंसा वाले हिस्से में शुरू में दिये गए हैं.

- पहचान: पीड़ित की उम्र जरूर पता होनी चाहिए. अगर पीड़ित नाबालिग है तो उसका चेहरा और नाम नहीं दिखाया जा सकता. इस तरह शूट करें कि पीड़ित की पहचान गुप्त रहे.
- उससे बार-बार यह मत पूछिए कि विस्तार से बताओ आपके साथ क्या हुआ. अगर पीड़ित भावनात्मक और मानसिक यातना महसूस कर रही है तो विस्तार से न पूछें. आप यह जानकारी बाद में भी ले सकते हैं जब बात करने की स्थिति में हो. या किसी ऐसे शख़्स से जानकारी लें जिसे केस के बारे में पूरा पता हो और इसे अपने P2C में बताएं.
- ध्यान रहे कि इंटरव्यू के दौरान पीड़ित के परिवार वाले आराम से बैठे हों.

रिपोर्टिंग चेकलिस्ट:

- यह पता कर लीजिए कि क्या एफआईआर दर्ज हुई है? अगर हां तो पुलिस के साथ अनुभव कैसा रहा? क्या पुलिस ने मदद की? क्या पुलिस संवेदनशील थी?
- क्या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पीड़ित के लिए मुआवज़ा जारी किया है.
- क्या पीड़ित का वक़्त पर और मुफ़्त इलाज हुआ? क्या उसके इलाज में आनाकानी हुई? और अस्पताल ने इसके लिए क्या वज़ह बतायी? ये सरकारी अस्पताल था या निजी?
- हमलावर कौन हैं?
- पुलिस के मुताबिक इस हमले का मक़सद क्या हो सकता है?

दहेज

पृष्ठभूमि: दहेज निरोधक अधिनियम-1961 के बावजूद देश में लड़कियों की शादी के वक़्त दहेज देना आम प्रचलन में है. अक्सर यह राशि इतनी ज्यादा होती है कि बेटी न पैदा होने के लिए मां-बाप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. कई लोग ख़ासतौर पर पुरुष/लड़के वाले इस आधार पर दहेज विरोधी क़ानून की आलोचना करते हैं कि औरतें और उनके घरवाले इस क़ानून का नाजायज़ फायदा उठाते हैं. जबकि यह क़ानून होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना और इससे जुड़े मामले लगातार सामने आते रहे हैं और दहेज हत्या आम है. पूरे भारत में 2010 में दहेज से जुड़ी हत्या या खुदकुशी के 8339 मामले दर्ज किये गये थे.

केस स्टडी

शादी के दो महीने बाद ही मीता ने अपना ससुराल छोड़ दिया क्योंकि वह अपने पति और उसके परिवार वालों के शारीरिक और मानसिक अत्याचार को और सहन नहीं कर सकी. वह अपने तीन साल के बेटे के साथ संढिडा गांव में अपने माता-पिता के घर आ गयी. उसके ससुराल वाले उससे जेवर और नकद पैसे की मांग कर रहे थे. लेकिन मीता ने मना कर दिया, उसे न केवल डंडे से पीटा गया बल्कि लोहे की तपती छड़ से दागा भी गया. हालांकि उसके माता पिता इस बात पर जोर देते रहे कि वह अपनी शादी को टूटने से बचाए वरना परिवार की बेइज़्ज़ती होगी. इस केस स्टडी को एक और मोड़ दीजिए- अगर उसकी बहन हो तो क्या होगा?

रिपोर्टिंग टिप्स:

- दहेज के लिए हिंसा की वज़ह से बहुत सी औरतें अपने माता-पिता के घर आ जाती हैं. आपको पीड़ित महिला के साथ-साथ उसके माता-पिता का भी इंटरव्यू करना चाहिए.
- पीड़ित से बात करते वक़्त सिर्फ घटना / हिंसा या वह कब लौटी आदि पर ही ध्यान केंद्रित न करें. आपकी कोशिश वह सीमा पता लगाने की होनी चाहिए कि उसने कब सोचा कि अब बहुत हो गया और घर छोड़ दिया?
- माता-पिता से इंटरव्यू में दहेज के बारे में बात कीजिए. उनसे पूछिए कि अगर उनके पास पैसा होता तो क्या वे दे देते? हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे दहेज की राशि के ख़िलाफ हैं या इस प्रथा के? अगर दहेज नहीं दे सकते हैं तो रास्ता क्या है? वे लोग हमेशा ज्यादा की मांग क्यों करते हैं?
- अगर उनके एक और बेटी हो तो पूछिए: उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे- क्या दहेज नहीं देंगे- क्या दहेज के लिए पैसा बचाएंगे / कर्ज़ लेंगे?
- अगर उनके बेटा हो तो पूछिए: जब आपके बेटे की शादी होगी तो क्या दहेज लेंगे?
- बी रोल: शादी की तस्वीरों का एल्बम, पीड़ित और उसके परिवार के सीक्वेंस, गांव और आस-पड़ोस के इलाके के शाट.